34 संलग्नक - 4

मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, (बिलेट्स एण्ड टी.एम.टी. डिविजन) ग्राम–गेरवानी, सराईपाली रोड, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित माईल्ड स्टील बिलेट्स उत्पादन क्षमता 132000 टन/वर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट (टी.एम.टी. बार) 118000 टन/वर्ष एरिया–8.45 एकड़ के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 09 जनवरी 2018 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, (बिलेट्स एण्ड टी.एम.टी. डिविजन) ग्राम–गेरवानी, सराईपाली रोड, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित माईल्ड स्टील बिलेट्स उत्पादन क्षमता 132000 टन/वर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट (टी.एम.टी. बार) 118000 टन/वर्ष एरिया–8.45 एकड़ के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 09.01.2018 को समय–11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तराईमाल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री ललित कुमार सिंघानिया, पर्यावरण सलाहकार ने कहा – इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में संक्षेप में हम जानकारी देना चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक इंडक्शन फर्नेस, मेल्टिंग प्रोसेस से 132000 टन बिलेट बनाकर उसे गरम–गरम स्थिति में रोलिंग मिल में ट्रांसफर करके हाट चार्जिंग टेक्नालाजी के द्वारा रिरोल्ड प्रोडक्ट बनाने हेतु प्रस्तावित है, और यह प्रोजैक्ट गेरवानी गांव में करीब 8.5 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जावेगा। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें जो मुख्य रा मटेरियल है, उसमें स्पंज आयरन, पिग आयरन, हेवी मेल्टिंग स्क्रैप, फेरो एलायस होता है। इसमें कोयले का उपयोग नहीं होता है। बिजली को जब हम इंडक्शन फर्नेस क्वाइल के अंदर में पास करते हैं तो करंट के द्वारा जो चार्ज होता है वह पिघलने लग जाता है। करीब करीब 1640 डिग्री सेंटीग्रेड कर उसको टैप करके, यदि उसमें सल्फर ज्यादा हुआ तो एलायस के माध्यम से हम रिफाइन करते हैं फिर उसको लेडल को सीसीएम में ले आते हैं। सीसीएम में जब हम उसको कास्ट करते हैं तो ये जो नया टेक्नोलाजी है, उसमें हम उसे पूरा ठंडा नहीं करते हैं। उतना ही ठंडा करते हैं जितने कि रोलिंग टेम्परेचर उसमें बना रहे। यह क्रिया 1050 से 1100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम मेनटेन करते हैं और उसी टेम्परेचर में हाट बिलेट शेयरिंग मशीन के द्वारा रोलिंग मिल में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां पर यह रोल्ड हो जाता है और इस प्रक्रिया में टीएमटी, वायर राड बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंदर में जो प्रदूषण की संभावना है वह बहुत ही नगण्य है। चूँकि इसमें इंडक्शन फर्नेस के अंदर जो मटेरियल लेते हैं उसमें कोयले का उपयोग नहीं होता और इसमें रोलिंग मिल के अंदर में भी कोयले की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमको हाट बिलेट सीसीएम से मिलता है। हमको यह जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रा मटेरियल का उपयेाग करें ताकि मेल्टिंग में समय न लगे। इसलिए जब अच्छे किस्म के स्पंज का उपयोग होता है, अच्छे किस्म के पिग आयरन और हेवी

मटेरियल का उपयोग होता है उससे एमीशन शून्य सा ही होता है, बहुत कम ही होता है। बावजूद उसके भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मानकों के अनुसार इंडक्शन फर्नेस के मार्गदर्शन के अनुसार सक्सन हुड की स्थापना की जाएगी और सक्सन हुड से निकलने वाली जो भी गैसेस होगी, उसमें एक बैग फिल्टर के द्वारा साफ करके धूल कणों के स्तर को 50 मिलीग्राम/घनमीटर से कम तक नियंत्रित किया जावेगा। परियोजना स्थल के अंदर 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरित पट्टिका का रोपण किया जावेगा। इसमें जल से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जल का उपयोग पूर्णतः एक शीतलीकरण के लिए होता है, कूलिंग के लिए होता है। इस कूलिंग में वाटर वेस्टेज न हो इसके लिए रिवर्स आस्मोसिस सिस्टम को अडाप्ट किया जावेगा, ताकि उसमें वेस्ट वाटर कम से कम जनरेट हो। फिर भी जो रिवर्स आस्मोसिस के बैक वाश होता है उसका उपयोग, सदुपयोग करने के लिए स्लैग क्वेंचिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात जो मिल स्केल कलेक्शन पांड के अंदर में पानी की आवश्यकता है, उसमें उपयोग किया जावेगा। इस प्रकार शत–प्रतिशत जल का पुर्नउपपयोग होगा और परिसर से बाहर शून्य निस्राव होगा। जो मानवीय श्रम के वहां कार्य करने के कारण उनके द्वारा जलमल जो उत्पन्न होगा, उसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक के द्वारा जल का उपचार किया जावेगा और उपचारित निस्राव का उपयोग हरित पट्टिका के अंदर सिंचन हेतु किया जावेगा। परियोजना में सालिड वेस्ट के रूप में मूलतः स्लैग जनरेट होता है। उस स्लैग को मेटल रिकवरी यूनिट्स को विक्रय किया जावेगा और मेटल रिकवरी यूनिट स्लैग को उपयोग करने के बाद में ब्रिक बनाने या लैंड फिलिंग के लिए उपयोग करते हैं। इंडक्शन फर्नेस क्वायल के मेन्टेनेन्स के अंदर में और जो सीसीएम लेडल के मेंटेनेंस के अंदर रिफ्रेक्ट्री जो जनरेट होगा, उसे रिसाइकलिंग के लिए अथाराइज रिसाइकलर्स को सेल किया जावेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ के कारण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा। परियोजना के अंतर्गत जो भी आटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट के द्वारा संभावित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जो निर्धारित मानक हैं उनके अनुसार गाडियों के अंदर उत्सर्जन को निरंतर चेक किया जावेगा। अन्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु मूलतः इस परियोजना के अंदर में इंडक्शन फर्नेस पैनल से आवाज उत्पन्न होती है उसे एक इंडक्शन फर्नेस को रूम के अंदर स्थापित किया जावेगा जिसके अंदर में एक एकास्टिक अरेस्टींग एनक्लोजर प्रोवाइडेड होंगे और रोलिंग मिल के अंदर जो स्टैंड होंगे वे एंटी वाइब्रेशन टाइप के होंगे, इस प्रकार से ध्वनि का भी प्रदूषण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से किसी अन्य प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की संभावना नहीं है, किसी प्रकार के प्रदूषण की संभावना नहीं है। ये परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से कई सारी गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों को शमन हेतु प्रोत्साहित की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन किया जा रहा हैं। हम परियोजना के बारे में और जानकारियां, जो भी यहां उपस्थित जन समूह से प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने को यहां तत्पर हैं। हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है। आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 800 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर

38 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्री /श्रीमती

1. ममता उरांव, सरपंच गेरवानी – फैक्ट्री जो है अच्छा। जो भैया ने अभी बताया, धुआं काला वाला नहीं निकलेगा बताया और आवाज भी नहीं होगी ऐसा बताया है और स्कूल में आवाज भी नहीं जाएगी बताया। और भाई भी है उन लोग बाहर–बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो फैक्ट्री पास है वो भी बाहर न जाएं, यही पर काम करें हमारे भाई। यही मैं सहमत हूँ।
2. रामचन्द्र डनसेना, गेरवानी – चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लि. में आज की जन सुनवाई का समर्थन करता हूं। चूंकि चन्द्रहासिनी छोटी लघु उद्योग और लघु उद्योग गांव में खुलने के कारण जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे आज हमारे गांव में फैक्ट्री लगती है, प्लांट लग के विस्तार होता है तो लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा और मैं अपने क्षेत्र के से कहना चाहता हूं कि जो छोटे लघु उद्योग हैं जो पर्यावरण का नुकसान नहीं करते हैं हम उनका समर्थन करते है और आज के चन्द्रहासिनी के जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
3. मंगली बाई, तराईगांव – समर्थन करती हूं।
4. बिहानी बाई, कोलहनझरिया – समर्थन करती हूं।
5. घुरई, तराईमाल – समर्थन करती हूं।
6. फूलन, तराईमाल – समर्थन करती हूं।
7. रोहित कुमार उरांव, गेरवानी – चन्द्रहासिनी इस्पात का समर्थन करता हूं और सम्पूर्ण प्रबंधन ध्यान रखे कि लोकल आदमी को ज्यादा से ज्यादा काम दें।
8. रमेश कुमार साहू, सराईपाली – चन्द्रहासिनी इस्पात का समर्थन करता हूं। अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके लोकल व्यक्ति को रोजगार का अवसर दें। धन्यवाद।
9. सुनंदा रेड्डी, पर्यावरण सलाहकार, हैदराबाद – I V.Sunanda Reddy, I am the first environmentalist in India to support Industry developments activities. My best wishes and supporting the management of M/s Chandrahasni Ispat Ltd. Generally environmentalists opposes industries but I am hole heartedly supporting the proposed (Billet & TMT Division to install induction furnace (132000 TPA MS Billets) with CCM and Rolling Mill (118000 TPA rerolled steel) with online hot metal charging facility. Because in India approximately 40 Crores youth between the age group 18 to 35 years are waiting for employment opportunities and urgent meed of industrial development of Chhattisgarh State. At the same time here is a great necessity to protect the ecological balance. I am giving you few suggestions to maintain the Ecological balance and development of your Industry.
   1. Your consultant have already conducted baseline survey of air, water, land and noise it is very good. My request is please collect the data of the health status of the people, crop, production status and ground water availability status within 10 Kms radius. It is very useful in future and utilize as a parameter to take precautinory affective measures to maintain ecological balance.
   2. My request and suggestions to you to take up proposed industry 8.45 Ac of land, whatever you draw water approximately 3.5 crore liters for annum. But the water is not sufficiantly available throught the year it is a limited source. The excess water is

available in rain season only. My suggestion is please make special efforts to collect rain water to store construct storage thanks for stroage rainy water. It is very usefull to use the rainy water in non rainy days to your industry. It is very benficial to maintain ecological balance.

3. You have planed takeup plantation 33% land is very good. My suggestion is to takeup plantation 40-50% is very esential to control presure on ecological balance because indian papulation is increasing 10 crores for every 10 years. It is very preserised on natural resources.
4. Please take up village plantation in nearby villages and also avenue plantation in nearby villages on which internal roads your vehicles transporting the materials to control dust pollution. My request is you should give priority to plant fruit bearing plants and medicinal value plants instead of normal plants. It is very beneficial to control dust pollution and also available fruits in nearby vilalges.
5. Pleases give top priority to the local educate unemployed youth to give employment in your industry.
6. My humble request is to promote skill development training to unemployed youth to get, better skills and to get employment chances in your industry remaining youth to get other places jobs. Countries like Japan and Korea youth 96 percent got skill development trainings. But in India 5 to 6 percent youth have skilled persons.
7. My request is to form a co-ordination committies with villagers and yout company officials. Govt. Officials and PCB officials to take up plan of action of CSR budget. It is very effectively helping and meaningful to take up demand oriented works. Please discourage target oriented works with this activity a great crediability comes to you.
8. Please take up proper pollution control measurers Air, Water, Land it is very essential maintain ecological balance.

Once again my best wishes and supporting to your industrial development at the same time please maintain the Ecological balance and environment safety.

I am Congratulating your environment consultancy which has prepared detailed EIA report to your Project is very good and satisfactory.

Finally I am requesting the public hearing panel committi to recommend to MOEF to give unconditional permission to M/s Chandrahasni Ispat Ltd. Proposed (Billet & TMT Division to install induction furnace (132000 TPA MS Billets) with CCM and Rolling Mill (118000 TPA rerolled steel) with online hot metal charging facility at Gerwani (V), Raigarh (Tehsil & Dist).

10. दीपक केरकेट्टा, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
11. मदन उरांव, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
12. जयराम भगत, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
13. कविता नायक, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
14. मुर्तिदेवी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
15. पूर्णिमा साहू, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
16. निरा चन्द्रा, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
17. सुशमा श्रीवास्तव, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
18. संगिता, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
19. बबिता महतो, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।

20. मनाक्षी महतो, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
21. हेममति, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
22. सोनमति उरांव, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
23. संध्या पटेल, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
24. दीपक उरांव, – तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
25. अमित, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
26. दिलिप कुमार, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
27. संजु उरांव, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
28. शंकर मिंज, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
29. रोशन, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
30. बेदराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
31. समारू, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
32. ओम प्रकाश, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
33. पुनुराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
34. दुखीराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
35. दिनेश्वरी अगरिया, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
36. जानु देवी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
37. संतोशी अघरिया, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
38. सोनाबाई, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
39. सोनकुवंर, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
40. आशा कुमारी बंजारे –उद्योग को समर्थन है।
41. सुनीता, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
42. कमला राठिया, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
43. लक्ष्मी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
44. कल्याणी देवी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
45. चन्द्रीका साहू, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
46. विजयलक्ष्मी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
47. रामबरी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
48. अनिता देवी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
49. मीरा देवी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
50. गुलाब तिर्की, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
51. सरकार, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
52. दिलीप कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
53. तिहारू राम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
54. मिलन कुमार बारीक, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
55. सैलाज अली, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
56. संजय साहू, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
57. सतपति सिंह, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

58. मुकेश कुमार तिवारी, जामगांव – मैं चंद्रहासिनी को समर्थन है। भविष्य के लिये बोल रहा हूँ, रोजी–रोटी के लिये सबको रोजी–रोटी मिले, सबको विकास मिले इसका भी समर्थन करता हॅं।

59. हरेश्वर सिंह, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

60. शहजाद आलम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

61. विनोद कुमार सिंह, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

62. प्रदीप सिंह, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

63. प्रिति देवी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

64. श्रीमती गीता सिंह, तराईमाल गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

65. रोमशिला अगरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

66. सुकमति, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

67. सुषीला अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

68. रामवती, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

69. सुमित्रा, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

70. करमवती, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

71. ललिता विश्वकर्मा , गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

72. सुन्नी देवी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

73. सुमित्रा अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

74. सुबोध कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

75. संजय कुमार यादव, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

76. रामबाबु, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

77. रोशन, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

78. सतनारायण, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

79. सुमित, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

80. विरेन्द्र कुशवाहा, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

81. करम, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

82. सोहित राम अगरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

83. गांधी अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

84. रंजीत कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

85. शिव कुमार यादव, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

86. कैलाश कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

87. धनमती महंत, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

88. हेमा अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

89. सुमन कुमारी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

90. देवंति देवी, तराईमाल गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

91. हेममति, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

92. यशोदा, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है। पढे लिखे परिवार है काम चाहियें।

93. सोन कुमारी यादव, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

94. आकाश बाई, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

95. सुनिता, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
96. परमेश्वरी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
97. भरत ठाकुर, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
98. सूरज कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
99. अजेश यादव, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
100. सुरेश कुमार, गेरवानी, द्योग को समर्थन है।
101. सुनील कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
102. भारत लाल अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
103. लीलाधर अघरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
104. छोटेलाल, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
105. सुरेन्द्र कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
106. लालमणी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
107. लाल कुमार अगरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
108. उमेश कुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
109. हरिशचन्द्र अगरिया, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
110. रोहणी धनहार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
111. फुलवती, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
112. पदमा बसंत, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
113. संध्या बसंत, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
114. यादबाई रात्रे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
115. नानबुटी कुटे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
116. धुपमति, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
117. गौरी यादव, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
118. दुल बाई, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
119. रथबाई यादव, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
120. लहरे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
121. विद्यावति, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
122. चमेली बाई यादव, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
123. सजन, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
124. संतोशी, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
125. शांति, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
126. ममता मिंज, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
127. रम्भा चौहान, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
128. सावित्री यादव, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
129. कस्तुरी चौहान, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
130. संन्यारो, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
131. सेतवती, तराईमाल,– उद्योग को समर्थन है।
132. मनीरो, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।

133. चिंतामणी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
134. रूपकुमार, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
135. उमाशंकर सिंह, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
136. हेमंत, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
137. छबी कुर्रे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
138. दुकालु, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
139. मनोहर लाल मुरहे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
140. नित्यानंद, शिवपुरी,– उद्योग को समर्थन है।
141. अमृत लाल बंजारे, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
142. अभय राम, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
143. संजन, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
144. चंदन सिंह, शिवपुरी – उद्योग को समर्थन है।
145. भगतराम, शिवपुरी – उद्योग को समर्थन है।
146. चौतराम, शिववपुरी – उद्योग को समर्थन है।
147. राजकुमारी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
148. कुसुम साहू, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
149. रोशनी चौहान, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
150. संध्या भगत, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
151. कुतंला चौहान, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
152. सुशीला, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
153. भगवती, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
154. सुमित्रा मिरी, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
155. रसमति सिदार, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
156. रजनी यादव, देलारी, – उद्योग को समर्थन है
157. चांदनी, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
158. रूपमति बाई साहू, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
159. सुनीता बाई, देलारी– उद्योग को समर्थन है।
160. सुजीत कुमार , शिवपुरी
161. पाडुराम, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
162. ओमप्रकाश, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
163. जयषंकर, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
164. रतिराम, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
165. कौशल, गेरवानी,– उद्योग को समर्थन है।
166. रोधेलाल, शिवपुरी – उद्योग को समर्थन है।
167. विनोद कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
168. सुरेष, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
169. पुनीराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
170. अजय यादव, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

171. मयावती, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
172. रामकुवंर, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
173. पुनीबाई साहू, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
174. ज्योतिका, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
175. उत्तरा, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
176. दुखनी, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
177. रोहनी, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
178. समारी बाई, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
179. काजल, देलारी, उद्योग को समर्थन है।
180. ईतवारी, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
181. सुशीला बाई, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
182. चंदनमति, – देलारी उद्योग को समर्थन है।
183. गुरवारी बाई, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
184. राजुमनी, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
185. मंगलाई, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
186. बरखा पटेल, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
187. पार्वती जेना, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
188. नान्हु बाई, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
189. जगपती गुप्ता, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
190. सविता गुप्ता, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
191. मंजुलता गुप्ता, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
192. पार्वती धीवर, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
193. कल्पना निषाद, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
194. अनिता निषाद, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
195. क्षमाकसेरा, उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
196. श्रीमती पिंकी कसेर, उज्जवलपुर – उद्योग को समर्थन है।
197. जमुनाबाई, उज्जवलपुर – उद्योग को समर्थन है।
198. ज्योतसना, उज्जवलपुर – उद्योग को समर्थन है।
199. शांति लकड़ा, उज्जवलपुर – उद्योग को समर्थन है।
200. सुखवा, हनमंता – उज्जवपुर – उद्योग को समर्थन है।
201. सुभाशदास, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
202. मानसिंह, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
203. नरेश मराठा, गेरवानी उद्योग को समर्थन है
204. मेलाराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
205. सत्येन्द्रराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
206. सुरज, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
207. हरिषंकर, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
208. राजेश कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

209. बुधु गुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
210. अवधराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
211. सरोज कुमार जाटावर, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
212. लालकुमार जाटवार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
213. सुभाश पटेल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
214. विनोद, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
215. विजय, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
216. धीरज कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
217. दयाराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
218. अवधराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
219. मुंडुल मेगा, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
220. मालती चौहान, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
221. प्रतिमा, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
222. रजनी कसेर, उज्जवलपुर, – गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
223. जमनी बाई, उज्जवलपुर– उद्योग को समर्थन है।
224. फलबसिया, उज्जवलपुर – उद्योग को समर्थन है।
225. ननकुन, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
226. मधुरी बाई, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
227. कमोरा बाई, तराईमाल गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
228. फुलोबाई, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
229. गणेशराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
230. पुनीराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
231. पडीराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है। बंजारी का समर्थन है।
232. सतीष, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
233. पवन रात्रे, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
234. मालिकराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
235. फागुलाल लहरे, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
236. रतन, शिवपुरी गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
237. भुरी, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
238. अमेरिका बाई, शिवपुरी – उद्योग को समर्थन है।
239. मंगली, शिवपुरी, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
240. भुरी बाई, शिवपुरी – उद्योग को समर्थन है।
241. चमरीन बाई, शिवपुरी– उद्योग को समर्थन है।
242. सवित्री, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
243. शिवकुमरी सारथी, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
244. प्रिया, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
245. लखपति बसोढ़, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
246. मालती बाई, लाखा– उद्योग को समर्थन है।

247. कौशिल्या बाई, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
248. बिन्दु बाई, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
249. मगंली बाई, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
250. जयंती चौहान, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
251. विद्या, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
252. हिरोबाई, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
253. इंदु, तराईमाल, लाखा– उद्योग को समर्थन है।
254. राखन खात्रे, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
255. अमन, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
256. जागेश्वर एक्का, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
257. मोती बंजारे, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
258. दुजराम खोटे, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
259. पितरू यादव, तराईमाल– उद्योग को समर्थन है।
260. भुराराम, धोनवारवारा – उद्योग को समर्थन है।
261. विनोद कुमार उरांव, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
262. पुनीराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
263. रतिराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
264. गंगाधर सारथी, तराईमाल– उद्योग को समर्थन है।
265. चक्रधर, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
266. बनभैया, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
267. शत्रुघन तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
268. विनोद, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
269. सुरज कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
270. बसंत देवांगन, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
271. मनोज सिन्हा, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
272. जगदीश, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
273. राजेश पटेल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
274. सुरज महीष, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
275. रामनाथ, लाखा, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
276. दिलीप, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
277. रोहित पटेल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
278. अजय गुप्ता , गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
279. रंजीत कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
280. देवनलाल, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
281. टिलेराम, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
282. ननकीराम, देलारी – उद्योग को समर्थन है।
283. दादुलाल साहू, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
284. दौलत सिंह, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

285. नेहरू यादव, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
286. गणेश राम राठिया, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
287. मुरलीधर, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
288. अघरिया, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
289. बोधन, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
290. सोनुराम, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
291. सोनूराम चौहान देलारी– उद्योग को समर्थन है।
292. रामकुमार, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
293. बुधराम, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
294. हरिजन, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
295. बलभद्र, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
296. आशाराम, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
297. परशराम, उज्जवलपुर– उद्योग को समर्थन है।
298. संतोष, उज्जवलपुर, – उद्योग को समर्थन है।
299. संतोष कुमार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
300. राजबहादुर, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
301. सुरज, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
302. सुकांति, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
303. सुनीता देवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
304. मीनादेवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
305. सोनीदेवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
306. फिरतु राम चौहान, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
307. मन्नुलाल, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
308. पुटुराम, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
309. ननकुराम, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
310. धनपति चौहान, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
311. रंजीत खरे, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
312. बुलाउराम, शिवपुरी तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
313. द्वारिका कासकर,– , – उद्योग को समर्थन है।
314. रंजीत साहू,देलारी , – उद्योग को समर्थन है।
315. शीतल कुमार राउत, गेरवानी , – उद्योग को समर्थन है।
316. मनोज कुमार देलारी, , – उद्योग को समर्थन है।
317. शिवकुमार धीवर, उज्ज्वलपुर , – उद्योग को समर्थन है।
318. मनोज कुमार, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
319. भोजराम उज्ज्वलपुर, – उद्योग को समर्थन है।
320. ईश्वर निषाद उज्जवलपुर, – उद्योग को समर्थन है।
321. अर्जुन कसेर, उज्जवलपुर, – उद्योग को समर्थन है।
322. निशागर निषाद, – उद्योग को समर्थन है।

323. कमलेश शाह, , – उद्योग को समर्थन है।
324. नरेन्द्र रात्रे, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
325. सतराम गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
326. नितेश कुमार, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
327. प्रेमलाल यादव, प्रबोली, – उद्योग को समर्थन है।
328. विशेश्वर, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
329. मुकेश कुमार, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
330. मृगेन्द्र, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
331. तरूण कुमार गुप्ता, उज्ज्वलपुर, – उद्योग को समर्थन है।
332. तेजराम, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
333. परमेश्वर कुमार, गेरवानी , – उद्योग को समर्थन है।
334. सनी यादव, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
335. खेतू, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
336. देवमती, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
337. हीरामती, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
338. फूलकुन, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
339. कुंतीबाई, बेलाठी, – उद्योग को समर्थन है।
340. यातिन, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
341. मनुलाई, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
342. सुनीता, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
343. अजीत विश्वास, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
344. विश्वजीत सासमोल, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
345. अनीता, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
346. कुंती, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
347. अतिति चौहान, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
348. मोहरमती, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
349. संगीता, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
350. नंदिनी, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
351. रिंकी, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
352. हेमलता श्रीवास, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
353. बुधनी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
354. रूकमणी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
355. संतोषी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
356. कुसुमलता राठौर, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
357. अंजली, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
358. उषा, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
359. कांति निषाद, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
360. दुर्गाबती, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

361. रत्ना महंत, लाखा गेरवानी, , – उद्योग को समर्थन है।
362. शकुंतला, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
363. रतन कुमारी, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
364. भूरी बाई, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
365. अमरीका बाई, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
366. हीरामती, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
367. रत्नाबाई, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
368. होरीबाई, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
369. तुलसी, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
370. अमारी बाई, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
371. जय, सराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
372. शुभनंदन, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
373. आर्थिक, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
374. रूकमन यादव, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
375. गजानन साव, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
376. अजय चौहान, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
377. अनिल राठिया, चिराईपाली, – उद्योग को समर्थन है।
378. शंकरलाल चौहान, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
379. देवेन्द्र रात्रे, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
380. लक्ष्मी चौहान, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
381. चन्द्रप्रकाश जांगड़े, जासना ब्लाक, – उद्योग को समर्थन है।
382. पोतराम नांगड़े, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
383. गोपाल, शिवपुरी, , – उद्योग को समर्थन है।
384. संतोष कुमार तिग्गा, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
385. कपिल, शिवपुरी, – उद्योग को समर्थन है।
386. बोधराम राठिया, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
387. राजमती जांगड़े, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
388. नैला राठिया, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
389. महेश जांगड़े, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
390. अजीत टोप्पो, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
391. देवलाल, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
392. शांति टोप्पो, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
393. दिव्या प्रधान, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
394. मृनाव सेदार, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
395. सुनीता, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
396. बोधुराम, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
397. जगेश्वरलाल सिदार, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

398. राघवेन्द्र भट्ट, गेरवानी– चन्द्रहासिनी रोलिंग मिल के द्वारा जो क्षमता विस्तार किया जा रहा है, कुछ बिन्दुओं पर मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहूंगा। इस क्षेत्र के जो शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास वास्तव में कुशलता है, अनुभव है, उन्हें भी जो है काम नहीं दिया जाता। वास्तव में आज से दो दशक पूर्व जब इस क्षेत्र में जब इंडस्ट्रिलाइजेशन किया जा रहा था उस दौरान जो है इस क्षेत्र के शिक्षित पढ़ेलिखे बेरोजगारों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि लोगों को रोजगार मिलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों का जीवनस्तर उंचा उठेगा। जिला प्रशासन से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा क्या मुझे बताएंगे इस जन सुनवाई के अंतिम क्षणों में कि इस क्षेत्र के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया था। इस क्षेत्र में जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैला जा रहा है उद्योगों के द्वारा राज्य सरकार जिस समय एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं उस दौरान राज्य शासन कुछ कंडीशन तय करते हैं । कितने उद्योग उस कंडीशन का फालो कर रहे हैं कृपया जिला प्रशासन मुझे बताएगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वास्तव में जो उपाय किए जाते हैं या एमओयू के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा राज्य शासन को ये बोला जाता है कि हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये उपाय करेंगे। कितने प्रतिशत उद्योग उन कंडीशन को फालो कर रहे हैं। जिला प्रशासन से एक बात और कहना चाहूंगा मैं इस तरह से सुनियोजित जन सुनवाई का जो है एक भ्रम फैलाया जाता हैं सारा चीज तो सुनियोजित होता है। कितने प्रतिशत यदि यहां विरोध दर्ज कराये तो जिला प्रशासन तो अनुमति दे ही देनी है। तो फिर ये नाटक क्यों किया जाता है। मैं पुरजोर शब्दों से विरोध करता हूं इस तरह से जन सुनवाई जो है आप लोगों ने कार्यक्रम करके रखा हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने का है और बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ,मैडम यदि यहां से आप मोटर साइकिल में बैठकर रायगढ़ चली जाएं और वहां से लौटकर जब आयेंगी तो उस कपड़े को दोबारा पहनने की स्थिति नहीं होता। प्रदूषण पर्यावरण की इतना ज्यादा खराब स्थित है यहां बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है इस क्षेत्र के लोगों को निरंतर प्रत्येक व्यक्ति का मैं देख रहा हूं कि यहां आकर समर्थन कर रहा है। जंगल में जाकर देखिएगा तो इस क्षेत्र के लोगों का एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जंगल से जो जीविकोपार्जन हुआ करता था लोगों का आज जाकर देखिए कहीं पर भी यदि आप हाथ रख देते हैं तो धूल है वहां पूरा जो है आपका हाथ डस्ट से सन जाएगा। ये स्थिति हैं यहां। इसके बाद भी मुझे ताज्जुब होता है कि इस क्षेत्र के पढ़ेलिखे लोगों को तथाकथित जनप्रतिनिधि भी यहां पर आकर मूक समर्थन करते हैं। लगता है सुनियोजित तरीके से सारा कुछ सेटिंग होने के बाद सारा चीज होता हैं। पुरजोर शब्दों में मैं विरोध दर्ज करता हूं अपना, धन्यवाद।

399. जीवन गिरी गोस्वामी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

400. रामेश्वर पटेल, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

401. रामबिहारी, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है। और मैं कम्पनी की तरफ से अभी लगा हूं मैं चाहता हूं यहां के जो मालिक हैं वो हमें हमेशा के लिए कंपनी में लगा लें और कम्पनी रेट देने की कृपा करें।

402. पुनिया, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

403. पार्वती, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

404. बुधयारिन, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

405. श्यामकुमारी, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

406. सरस्वती बाई, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

407. पुष्पा सिदार, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

408. लीलीवती यादव, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

409. जयंती बाई, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।

410. जीवा भारती, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
411. ललिता बाई, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
412. रंगई बाई राठिया, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
413. राजकुमारी भुइयां, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
414. सरोज यादव, देलारी, – उद्योग को समर्थन है।
415. मुखीराम रात्रे, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
416. रामदरश यादव, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
417. मनोज कुमार गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
418. विमला, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
419. बसंत कुमार मिरे, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
420. बबलू यादव, गेरवानी, , – उद्योग को समर्थन है।
421. मुकेश भट्ट, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
422. मनोहर साव, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
423. रामप्रसाद सेन, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
424. विश्वकर्मा, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
425. मेहतालाल टंडन, गेरवानी, – उद्योग को समर्थन है।
426. गुरविंद, गेरवानी, , – उद्योग को समर्थन है।
427. जागेश्वर पैकरा, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
428. बुधराम, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
429. पदुमलाल सिदार, लाखा, – उद्योग को समर्थन है।
430. सुशीला भगत, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
431. नंदू भगत, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
432. सतीश तिग्गा, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
433. रितीजा, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
434. मिलिउराम, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
435. रीनता देवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
436. काजल कुमारी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
437. कंचन बाई, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
438. सुभद्रा, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
439. श्याम बाई तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
440. मुनकी बाई तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
441. रेणुदेवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
442. मंजू देवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
443. नीशा कुमार, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
444. सनील कुमार, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
445. दुर्शाती देवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
446. राजिता देवी धनवार, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
447. प्रभा देवी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

448. मनश्वर, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

449. दयाराम, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।

450. जयंत बहिदार, महामंत्री, जन मोर्चा संघ, रायगढ़ – आदरणीय पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी आप लोग जन सुनवाई करा रहे हैं। चन्द्रहासिनी मां के नाम पर इस्पात प्रा. लिमिटेड कम्पनी के लिए, बड़े शर्म की बात है कि आज की जन सुनवाई में आसपास के गांव के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, बुद्धिजीवी लोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जन सुनवाई में भाग लेकर के, परन्तु ऐसा लगता है कि कम्पनी प्रबंधन ने ऐसी तैयारी की है कि अपने समर्थन मेला जुटाया है और प्रशासन चुपचाप देख रहा है। ये बहुत ही रायगढ़ जिले के शर्म की बात है। और रायगढ़ जिले की शर्मींदगी रायगढ़ जिले को बरबाद करने में जिला प्रशासन के अधिकारी पूर्ण रूप से शामिल हैं। उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं । हमने पिछले जन सुनवाई में तिरूमला की जन सुनवाई में आपको ईआईए अधिसूचना 2006 की प्रतिलिपि सौंपी थी और छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं आवास मंत्रालय के प्रमुख सचिव पी. ओमेन का वो आदेश जो उन्होंने 21.12.2006 को जारी किया था कि किसी भी परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत लोक सुनवाई कराने का जो प्रावधान है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ और नियमों का कड़ाई से करते हुए लोक सुनवाई कराना चाहिए। अभी पिछले दिनों हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लोक सुनवाई की प्रक्रिया सम्बन्धी अधिसूचना भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय का आदेश की कापी भी सौंपा, कि हमारे जिले में परियोजनाओं के लिए होने वाले लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रावधान के तहत नहीं हो रहे हैं। प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। परंतु हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं प्रशासन। यह भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्राम गेरवानी की इस मिनी स्टील प्लांट के लिए आप 4 किलोमीटर दूर बंजारी मंदिर प्रांगण में क्यों करा रहे हैं लोक सुनवाई। तो क्यों करा रहें हैं 4 किलोमीटर दूर। क्या गेरवानी में हाईस्कूल नहीं है, खेल मैंदान नहीं है? गेरवानी के लिए भी बड़े शर्म की बात है कि वहां की परियोजना की जन सुनवाई आप बंजारी में, तराईमाल पंचायत क्षेत्र में करा रहे हैं, जो कि तमनार तहसील के अंतर्गत् आता है और गेरवानी रायगढ़ तहसील में है। गेरवानी के लोगों का भी अपमान है। वहां के नागरिकों का भी अपमान है कि वो अपनी बात को वहां आजादी के साथ रख नहीं सकते। ईआईए नोटिफिकेशन में तो ये भी प्रावधान है कि लोक सुनवाई को 45 दिन के अंदर में करना चाहिए। जब परियोजना प्रशासक का आवेदन मिल जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यावरण संरक्षण मंडल को और आपको हर बार की तरह इस बार भी पत्र मिला होगा। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल का कि 45 दिन के अंदर में करना है, फिर आप साल भर बाद करवा रहे हैं लोक सुनवाई। जब प्रशासन का इच्छा होगा उनकी मर्जी होगी तो लोक सुनवाई करायेंगे। जब फैक्ट्री मालिक जब आसपास के क्षेत्र को राजनैतिक चुनावी हथकंडे की तरह प्रभावित कर चुका होगा, बहुमत में होगा, तब आप लोग सुनवाई करायेंगे और लोगों का तो नैसर्गिक अधिकार है अपना मत देने का, विरोध करने का, सुझाव करने का, उसको आप लोग दरकिनार करते हैं। हम पुनः आपसे मांग करते हैं कि इस लोक सुनवाई को स्थगित कर दें और परियोजना प्रशासक को समस्त नियमों का पालन करने और ईआईए नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रस्तुति आवेदन के रूप में दे तब फिर लोक सुनवाई आप करवायें। आपने पीठासीन अधिकारी, आपने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने की शर्तें और लेंटर जारी किया है, वो 26.11.2015 को जारी किया है और निश्चित है कि परियोजना प्रशासक कम्पनी मालिक को एक हफ्ता, चार दिन, पांच दिन, सात दिन के बाद मिला होगा। इसका मतलब है कि दिसम्बर में जरूर मिला होगा और उन्होंने अपने ईआईए रिपोर्ट

में ड्राफ्ट ईआई रिपोर्ट में बताया है कि हमने अक्टूबर नवम्बर और दिसम्बर में पर्यावरणीय अध्ययन किया है। इसका मतलब है टीओआर लेटर मिलने के पहले ही अध्ययन कर लिया है और जो ईआईए रिपोर्ट जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट इन्होंने आपको सौंपा है पचायतों को मिला आम जनता को मिला है, उसमें इनके हस्ताक्षर के नहीं है, इनके प्रबंधक का और इनके प्रतिनिधि का और प्रत्येक पृष्ठ में, पेज मे इन्होंने ग्राम गेरवानी को तहसील और जिला रायपुर बताया है। कितना बड़ा गलती है, इसको तो आप भी देखें होंगें। आप इनको पत्र लिखकर सुधार करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए और पूरी प्रोसीजर को कम्पलीट करने को क्यों कहते। इसका मतलब है इन लोगों ने रायपुर में बनाया है, कोई अध्ययन नहीं किया क्षेत्र का, और रायपुर में बैठकर इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो इतना बड़ा गलती ये करते हैं। फिर भी हमारा पर्यावरण विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता। उन्होंने अब ईआईए रिपोर्ट बना दिया। 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में हाथी का विचरण है, हाथी का रहवास क्षेत्र, कारीडोर है, गलियारा है, मगर उसको वो नहीं बताएंगे। आपको भी मालूम है, पूरा जिला को मालूम है, सभी गांव वाले परेशान हैं, जंगल के गांव वाले, आदिवासी परेशान है, ये हमारा आपत्ति है। इन्होंने ईआईए रिर्पोट में ये बताया है कि ये क्षेत्र क्षारीय है यहां की मिट्टी, इस क्षेत्र का और इसका उर्वरक क्षमता भी कम है। गांव वाले इस बात को सुनेंगे, आदिवासी भाई भी सुनेंगे, हमारे नेता भाई भी सुनेंगे कि ये बताते हैं कि इस क्षेत्र का जमीन भी न्यूनतम और सामान्य से भी कम है इनका उत्पादन क्षमता। बताईये सोना उगलात है, अगर पानी की सुविधा सरकार दे तो इस जमीन पर सभी फसल होगी, दो तीन फसल होंगे, मगर ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि ये आपकी जमीन जो फैक्ट्री का पता है उसको भी बंजर बता रहा है। आपका जो क्षेत्र है यहां पर बंजर जमीन है ही नहीं, ऐसी रिपोर्ट इन्होंने दिया है। परियोजना प्रशासक कहते हैं कि हमने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का अनुमति ले लिया है। 22.07.2005 को जब इन्होंने अपनी कम्पनी की स्थापना कर रहे थे, तब इन्होंने ग्राम पंचायत की सहमति लिया था। आप विश्वास कर रहे हैं इतना बड़ा फैक्ट्री बनाएंगे, इसके लिए इनकी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है इनको, न ग्राम सभा की न ग्राम पंचायतों की और हमारा पर्यावरण विभाग उसको मंजूर भी कर लिया है। हमने पिछले जन सुनवाईयों में यह देखा है कि खनिज विभाग का पत्र जाता है कंपनी प्रबंधक के पास कि जिस क्षेत्र में आप परियोजना की स्थापना कर रहे हैं या विस्तार कर रहे हैं, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में या फिर आपके परियोजना क्षेत्र में उसकी जमीन के नीचे कोयला इत्यादि खनिज पाए जाते हैं क्या? और नहीं पाए जाते तो एनओसी लेकर आइए भारत सरकार से। मगर इस कम्पनी को आपने नहीं लिखा है चिट्ठी कि इस क्षेत्र में खनिज है या नहीं। आपने इस चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड के प्रबंधक को आपने पत्र लिखा है। मार्च 17 में 2017 में कि इन्होंने अपने स्थापना काल में जो इन्होंने एमएस बार का उत्पादन क्षमता बताया था 15000 मी.टन प्रति वर्ष उसको इन्होंने आपके बिना अनुमति, उद्योग विभाग के बिना पंजीयन के 30000 मी.टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता बढ़ा लिया। न तो उद्योग विभाग को इनको मंजूरी मिली है, रायगढ़ का उद्योग विभाग भी सो रहा है और जिला प्रशासन भी सो रहा है और आपने आपके अधिकारी आपके इंजीनियर साहब ने जांच भी किया है, भौतिक सत्यापन निरीक्षण किया जाकर फैक्ट्री में कोयला जलते पाया है, प्रदूषण भी होते पाया है और 30000 मी. टन उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादनरत उस फैक्ट्री को पाया है। फिर भी आपसे सम्मति भी नहीं मिली उस समय और फिर भी आपने कार्यवाही नहीं किया और आज 125000 टन और 118000 टन रिरोल्ड स्टील प्रोडक्ट और माइल्ड स्टील बिलेट का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लोक सुनवाई पर्यावरण स्वीकृति देने के लिए लोक सुनवाई हो रही है। इतना बड़ा प्लांट और एक बात है हम बताते हैं आपको इन्होंने लगभग 60 प्रतिशत परियोजना का निर्माण कर लिया है उसकी भी जांच आपने नहीं की है। बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के और बिना सरकार की मंजूरी के

इन्होंने परियोजना का 60 प्रतिशत भाग का निर्माण पूर्ण कर लिया है। इन्होंने अपने कम्पनी के स्थापना के समय 2005 और 06 में ये बताया था कि गेरवानी के खसरा नं. 4/3 से इन्होंने एक टुकड़ा जमीन खरीदा और उन्होंने उसका खसरा नं. 4/4 बताया और उसका डायवर्सन भी कराया है। वो लगभग 5 एकड़ 85 डिसमिल जमीन है। आज वो विस्तार कर रहे है और बता रहे हैं कि हम 8 एकड़ 45 डिसमिल में ये परियोजना पूरा करेंगे और जमीन का नम्बर भी इन्होंने 4/4 और 4/5 बताया है। 4/4 तो इनके पास है कम्पनी के नाम पर जमीन का पंजीयन है। 4/5 जो खसरा नम्बर है उसको इन्होंने नहीं बताया है किसके नाम पर रजिस्ट्री है, वो भी हमारे प्रशासन को जांच करनी चाहिए, जांच नहीं किया है। उसका भी डायवर्सन नहीं हुआ उस जमीन का और फिर आज आप लोग जन सुनवाई करा रहे हैं। प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रक्रिया ही पूरा नहीं हुआ है और आप लोक सुनवाई करा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लोक सुनवाई को स्थगित कर दीजिए। जब जागे तब सबेरा। उसको भी मान लेते हैं, प्रशासन का इज्जत तो नहीं घटेगा, प्रशासन छोटा तो नहीं हो जाएगा। प्रशासन तो समाज के लिए ही है, देश के लिए है, हमारे लिए है वो कैसे छोटा हो जाएगा, जो हमारे जन्म मरण सुख दुख से लेकर तमाम जीवनकाल के लिए प्रशासन का होना जरूरी है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय से मांग है कि इस लोक सुनवाई को यही स्थगित कर दीजिए। बहुत सी खामियां हैं। इससे प्रशासन का कद बढ़ेगा, प्रशासन का इज्जत बढ़ेगा, लोगों का प्रशासन के प्रति जो विश्वास है और बढ़ेगा, पैदा होगा। इन्होंने अपने ईआईए रिपोर्ट में, आप तो पढ़े होंगे, पर्यावरण अधिकारी महोदय, केवल 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में केवल 6 फैक्ट्रियों का नाम बताया है। 50 से अधिक फैक्ट्री हैं इस क्षेत्र में। 10 किलोमीटर के दायरे में 10 किलोमीटर के दायरे में पतरापाली से जिंदल स्टील पावर लिमिटेड जो प्लांट है वो भी आता है और पूंजीपतरा में ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क है, में 30–32 जो प्लांट हैं वो भी आते हैं और जो भी पार्क के बाहर पूंजीपथरा थाना के बगल में उसके लगा हुआ जो फैक्ट्री है वो भी आता है। परंतु और इस तराईमाल बंजारी क्षेत्र के 7–8 फैक्ट्री हैं, सराईपाली में ही 6–7 फैक्ट्री हैं, तमाम क्षेत्र में सराईपाली, गेरवानी वगैरह मिलाकर, गौरमुड़ी मिलाकर, फिर क्यों नहीं कहते इन्होंने रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाया है। हम याद दिलायेंगे तो फिर ये सुधार करके प्रस्तुत कर देंगे। यही मतलब है न। ड्राफ्ट ईआईए का यही मतलब है कि आप सुधार करो और गलती की गुंजाइश बनी रहे ताकि फैक्ट्री को लाभ मिले। और किसी तरह इस पर्यावरण स्वीकृति को दे दिया जाए, ताकि ये क्षेत्र सदा के लिए शोषित, प्रदूषित होता रहे। महोदय, इन्होंने ड्राफ्ट ईआईए में ये बताया है कि इनकी परियोजना या प्लांट के पास में कोई झील वगैरह नहीं है। आज मेरे को बताइये, पर्यावरण अधिकारी आप तो संपूर्ण पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, आप बताइए ये केलो बांध क्या झील नहीं है क्या? कैसा बनता है प्राकृतिक झील चाहिए, बने बनाए झील सरकार ने बना दिया उसको नहीं मानेंगे, इसको झील नहीं कहेंगे? झील की लम्बाई–चौड़ाई क्या बहुत ज्यादा होती है? 100 किलोमीटर का रहता है, तभी मानेंगे आप झील? और इस प्लांट से मुश्किल से 1 किलोमीटर में केलो बांध जो जलाशय है उसका भराव क्षेत्र है। बस गांव के किनारे है। परंतु इन्होंने बता दिया 6 किलोमीटर दूर बांध और 3 किलोमीटर नदी जयंत बहिदार, महामंत्री, जन मोर्चा संघ, रायगढ़ है, आपने मान लिया। ऐसा मनगढ़ंत और झूठा ईआईए रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है और भारत सरकार ने जो पर्यावरण कानून के तहत, जो ईआईए अधिसूचना 2006 जारी किया है, उसमें ये प्रावधान है कि झूठी और मनगढ़ंत अगर रिपोर्ट बनाया जाएगा तो उसस पर सजा है, उस पर कड़ाई से कार्यवाई होनी चाहिए। आपने कोई कार्यवाही नहीं किया। सब गलत–गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जन सुनवाई कराने पर आमादा हैं। जन सुनवाई ये जन सुनवाई नहीं, इस आदिवासी क्षेत्र का किस्मत को आप लिख रहे हैं, जो सदा के लिए बरबाद होने वाला है, बिगड़ जाने वाला है। आदरणीय, पीठासीन अधिकारी

महोदय, हमारे पत्रों का जवाब हमको देना चाहिए, प्रशासन को। हम अगर देते हैं तो आप लिखिए, आप बोलिए कि झूठी रिपोर्ट आपको हम दे रहे हैं, गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार कराइये हमको। झूठी रिपोर्ट अगर हम दिए हैं तो आप हमारे मुंह में बोलिए, सबके सामने बोलिए कि आपकी रिपोर्ट झूठी है, आपको ज्ञान नहीं है। आपको पढ़ना नहीं आता, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप लोगों को भड़का रहे हैं। झूठी रिपोर्ट देकर माहौल खराब कर रहे हैं। बोलिये आप। और अगर हमारी रिपोर्ट सही है तो बताइए तो आपकी रिपोर्ट सही है और कार्यवाई करिए। अगली लोक सुनवाई में हम गांव वालों को भड़काएंगे, गांव वालों के साथ गिरफ्तारी देंगे। आपके इस लोक सुनवाई के विरोध में। इस लोक सुनवाई को स्थगित करें, हमारी ये मांग है। धन्यवाद।

451. सविता रथ, सदस्य जन चेतना, रायगढ़ – मैं इस लोक सुनवाई में आप सबका अभिवादन कर रही हूं और समस्त को नमस्कार, बाकी जो साथी हैं पंडाल के अंदर और बाहर उन सबका आदर के साथ सम्मान करते हुए नमस्कार। मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड के जो ईआईए है उस पे मैं प्यावरणीय आंकलन और सामजिक आंकलन पर अपनी बात यहां रख रही हूं। जन चेतना सदस्य के माध्यम से यहां खड़ी हूं। मैडम यहां पर सबसे बड़ा जो प्रथम आपत्ति होता है इस आईआईए को जो बनाया है उसने 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो गांव को लिया गया है, वहीं से इस आईआईए के झूठ के पुलिंदा का बात सामने आता है। यह पूर्ण रूप से यह ईआईए जो है वह कापी पेस्ट है। इसमें कुछ भी नया, ऐसा कुछ भी रिसर्च या किसी भी किस्म की स्वतंत्र एजेंसी से किसी भी किस्म की प्यारणीय, कोई भी आंकलन सही नहीं लिखा गया है, यह सबसे बड़ी आपत्ति है। देखा जाए तो इसमें जन सुनवाई की जो बात सामने आ रही है गेरवानी में वह मैं होकर आ रही हूं। वहां दो चीजें हैं, पहला चीज तो ये है कि जिस चीज का यहां जन सुनवाई करवाया जा रहा है मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड के द्वारा वो कम्पनी का काम पहले से आलरेडी चालू है। फिर इस जन सुनवाई की नौटंकी की जरूरत क्या थी। शायद इसीलिए इस जन सुनबाई का जन समुदाय ने बहिष्कार कर दिया है और यहां पर न तो महिला साथी दिख रहे हैं और न पुरूष साथी दिख रहे हैं। लोगों ने इस जन सुनवाई का सीधा–सीधा विरोध कर दिया है। केवल यह प्रशासनिक जिद है जो आप बैठे हैं। तो इसको तत्काल बिना लोगों के राय के कैसे ये जन सुनवाई हो सकती है। वहां पर क्रिकेट खेलाया जा रहा है, जिस मैदान पर ये जन सुनवाई होना चाहिए, जहां पर सीधे प्रभावित लोग आ जाएं और अपनी बात रखें। यहां इतना दूर में जन सुनवाई करवाने का मकसद ही मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड का यह है कि लोग न आ पाएं। यहां पर बिल्कुल भी लोग नहीं है और लोगों की राय लेने के लिए हम और आप यहां पर हैं और जब लोग नहीं हैं तो इस जन सुनवाई का कोई महत्व नहीं होता और जब ये कम्पनी का विस्तार का जब वहां शुरू हो गया है, आप कृपया करके जाइए, एक बार देखकर आइए कि वहां लगातार काम जारी है, फिर इस जन सुनवाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब अगर हम देखें तो केन्द्रीय जलवायु एवं वन पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार इनका आवेदन के 45 दिनों के अंदर ये जन सुनवाई हो जानी चाहिए जो आज 2 साल बाद हो रही है तो इस जन सुनवाई अपने आप में स्वमेव निरस्त हो जाता है। ऐसे जन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जिसमें 45 दिनों के भीतर आवेदन के जन सुनवाई करवाना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी ईआईए में ये जल आपूर्ति कहां से लेंगे। सब देखिएगा इन्होंने इस पर कहा है कि ईआईए में जल की आवश्यकता, ये 100 प्रतिशत इनकी जल की आपूर्ति होगी बोर करके करेगे और इन्होंने हवाला दिया है स्व. दिलीप सिंह जूदेव केलोबांध का पानी है नीचे डेम में इसीलिए बोर करके अपने पानी की 95 प्रतिशत जरूरतें हैं वे वहीं से अपना बोर खोदकर करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार सबसे पहला यह है कि

बोर पेयजल और स्थानीय कृषि कार्य के लिए है, न कि किसी उद्योग कम्पनी को चलाने के लिए। और केलो बांध परियोजना जो है वो पूर्ण रूप से कृषकों के लिए, अगर आप उसकी जन सुनवाई पढ़ें तो अगर आप देखें तो आप स्पष्ट तौर पर ये देख पाएंगे कि केलो बांध का निर्माण किसानों को पानी देने के लिए है। किसी निजी उद्योग कम्पनी को बोर चलाकर पानी चुराने का अधिकार नहीं देता है। तो बिना पानी के ये कम्पनी कैसे चलेगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम परमिशन भी लेना जरूरी नहीं समझते हैं। मतलब ये जलबोर्ड से ये अनुमति भी नहीं लेना चाहेंगे, और ये जो 5 प्रतिशत पेयजल है ये उससे करेगे। कुल मिलाकर 95 और 5 मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 प्रतिशत इनके पानी की जरूरत इनके निजी बोर से होना बता रहे हैं। तो आप यह अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप किसानों का पानी, लोगों का पानी, समुदाय का पानी आप एक निजी कम्पनी को कैसे कर सकते हैं, ये मेरी आपत्ति है। इसके अलावा इन्होंने अपशिष्ठ जल उत्पत्ति में कुल पानी 95 किलोलीटर की बात कहा है वहीं से 4 लीटर अपशिष्ठ पानी की बात कहा है। कहां रखूंगे भैया, मजाक बना कर रखा है। आपने तो मजाक ही बना दिया है। ये जन सुनवाई मेरे को आने का इच्छा नहीं था, वहीं पर अगर देखा जाए तो न तो जिंदल औद्योगिक पार्क इनके आईआईए में दिखा, 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर गेरवानी के, न उसके अंदर इंजीनियरिंग कालेज दिखी, न गेरवानी का स्कूल दिखा, न सड़क किनारे मासूम बच्चों का आंगनबाड़ी दिखा। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में कुल कितने आंगनबाड़ी प्रभावित होंगे, कितने स्कूल प्रभावित होंगे, कितने स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावित होंगे, कितना पशु चिकित्सालय जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना प्रभावित होगा, इसका कोई आंकलन नही है। हां, इन्होंने ये जरूर कहा है कि इनको अगर आप पेज नं. 11 में 'जैव विविधता के अध्ययनकाल में' अगर आप वन्य पशुओं में इन्होंने जो लिखा है बहुत मजेदार इन्होंने लिखा है कि भोंकने वाला हिरण इनको जरूर मिल गया है। इतने बड़े–बड़े हाथी नहीं मिले, पर भोंकने वाला हिरण जो गिनीज बुक आफ रिकार्ड में इनके ईआईए को लिखकर रखना चाहिए कि इनको पूरे रायगढ़ शहर में भोंकने वाले हिरण मिल गए हैं। हद कर दिया है। हमें भी दिखा दो भोंकने वाला हिरण। दिखा दीजिए भोंकने वाला हिरण। हमने आज तक कुत्तों को भोंकते देखा था, हिरण को नहीं पाया। आपने भोंकवा दिया है हिरण को तो ये हास्यास्पद है कि किस तरीके से ईआईए को इन्होंने मजाक बना कर रखा है। क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता में पूरा मजाक बना कर रखा है। इनको यहां के जो पशुधन हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं है? कितने गाय, बैल, बकरी हैं, कितने हाथी हैं, कितने हार्थियों का गलियारा है, कितने हाथी कारीडोर के मामले हैं, कितने हार्थियों ने यहां नुकसान किया है, कितने भालू हैं और कितने अन्य जंगली जीव हैं, कहां से ये स्रोत इनको मिला, कहीं पर स्पष्ट इनके ईआईए में नहीं है। इस तरह का भ्रामक ईआईए बताने के खिलाफ इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, इन बिन्दुओं के आधार पर कि सरकार को झूठा रिपोर्ट इन्होंने दिया। इसके अलावा अगर आप देखें ये रोजगार की बात करते हैं– पेज क्रमांक 7, जहां प्रस्तावित परियोजना से कुल 100 व्यक्तियों को ही रोजगार देने की ये बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि प्रशासनिक उत्पादन के लिए 16 चाहिए, और उत्पादन 84, जिसमें महिला रोजगार की कहीं भी कोई बात नहीं हैं। इसके यहां जो भी 100 लोग इस उद्योग के विस्तार में होगा, उसमें स्थानीय लोगों को कोई भी रोजगार उस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि पहले से मेसर्स, चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा लिमिटेड स्थापित है और उसने अभी तक कोई भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर में इन्होंने कोई कोशिश किया है, तो अभी क्या कर लेंगे। इन्होंने जिस तरीके से ईआईए किया है उससे ये साबित होता है कि इस उद्योग की स्थापना होने के बाद शायद इस पूरे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन सुधर जाएगा। इनकी अनुमति इसी आधार पर ये मांग रहे हैं कि इनको अगर अनुमति दे दिया जाए तो सारे पर्यावरणीय समस्याएं दूर हो जाएंगी, सबके रोजगार की समस्याएं दूर

हो जाएंगी, और हैरानी की बात ये है कि इसमें 10 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने मेरे गांव तक को नहीं छोड़ा है। इन्होंने बर्लिया तक का नाम इन्होंने ले लिया है। शायद इनको जानकारी नहीं है कि बर्लिया मे मैं रहती हूं और जिस 10 गांव का इन्होंने अध्ययन किया है, उन गांव के 10 लोगों के सरपंचों का बयान कहां गया? बर्लिया कैसे पहुंच गए? सराईपाली क्यों नहीं पहुंच गए भैया जहां से बीमारी है, जहां पहले से 3–4 उद्योग पड़े हैं, वहां के प्रदूषण पर क्यों बात नहीं हुई? तराईमाल के क्षेत्र के लोगों का अध्ययन क्यों नहीं हुआ, पूंजीपतरा के थाना के लोगों का क्यों नहीं हुआ। पूंजीपतरा के क्षेत्र के लोगों का अध्ययन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बर्लिया का हो गया, नूराली पाली का हो गया। वहां प्रदूषण मापक यंत्र लगाकर देखें हैं। यहां कौन सा प्रदूषण मापक यंत्र लगाये। कहां–कहां लगा है, कहां–कहां डिस्पले बोर्ड है, जिसको पढ़कर इन्होंने किया है। हद कर दिया। कम से कम हमारे जैसे लोगों को ही बुला लिया होता सलाह देने के लिए। स्थानीय लोगों को ही बुला लिया होता। क्या मजाक बना कर रख दिया है कि इनको भोंकने वाला हिरण मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने उज्जलपुर की जो बात कहते हैं क्या इनको उज्जलपुर में अंजनी स्टील प्लांट नहीं दिखा। दिखना चाहिए था न भैया, अध्ययनकर्ता दल को। अक्टूबर 2015 में था अध्ययन। आज 9.1.18 है। तीन साल पुराना इन्होंने अध्ययन किया है और 15 साल पुराना अंजनी स्टील प्लांट है, तो उन्होंने उज्ज्लपुर का कोई डाटा, कोई आंकड़ा प्रभावित नहीं किया है। हां, लेकिन नाम जरूर दर्शा दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके जितने भी उत्पाद होंगे, वो ट्रक से लेकर जाएंगे और ट्रक से लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रकों से जो प्रदूषण होगा, उसके लिए इनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह जन सुनवाई पूरी तरीके से झूठ, फरेब और जबरिया प्रशासनिक जिद है ये। इसीलिए तत्काल इस जन सुनवाई को रद्द करते हुए पुनः इस जन सुनवाई की प्रक्रिया में आना चाहिए। यह जन सुनवाई पूरा झूठ है। पर्यावरण आंकलन में इन्होंने किसी भी किस्म के आंकड़े सरकार के आंकड़े डालना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, नहीं डाला है। वहीं ये दो एकड़ में ग्रीन बेल्ट लगाना चाह रहे हैं। इस जन सुनवाई के बाद वो लगाएंगे। पिछले पांच साल से उनका उद्योग चल रहा है, एकाध इंच जमीन में दो, चार पेड़ नहीं लगाए हैं। हां, उन्होंने 16 पेड़ अभी काट दिए हैं, परसों महुआ के । ये जरूर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पूरे ईआईए में कहीं पर भी वनोपज संग्रहण, रोजगार के मुद्दे, पशुधन, जबकि यह क्षेत्र तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए आता है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं, तेंदूपत्ता धारक, कार्ड धारक के लिए है। लेकिन उसका यहां जिक्र नहीं है। यहां के फसलों का जिक्र नहीं है। यहां के धान चावल अन्य जो दलहन तिलहन सब्जियां हैं जो पूरे रायगढ़ का पालन करती हैं, उन चीजों को छिपा दिया है। इन्होंने यहां तक कि यहां की मिट्टी तक को बदनाम कर दिया है। और मजेदार चीज अगर आप देखें कि इनकी साक्षरता दर का अगर अध्ययन देखें तो इन्होंने महिलाओं को मादा संबोधित किया है। जो वास्तव में बहुत ही आपत्ति जनक शब्द है। इन्होंने साक्षरता दर में मादा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मैं विरोध करते हुए अभी इसी वक्त इनके उपर एफआईआर दर्ज करने की मांग करती हूं। इनके ईआईए में स्पष्ट तौर पर महिलाओं के लिए मादा शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब इनको ये भी तामीज नहीं है कि एक महिला को किस तरीके से व्यवहार या सम्मानसूचक संबोधित किया जाए। इन तमाम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर आज की जन सुनवाई को तत्काल निरस्त करना चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि अनुसूची 5 क्षेत्र है, यहां ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, जिसमें एक तिहाई में महिलाओं का हिस्सा होना चाहिए, इनके ईआईए में कहीं भी ग्रामसभा का जिक्र नहीं है, जो आपत्ति है और उसका एक बड़ा परिणाम है कि इस जन सुनवाई में शून्य में लोगों की राय के बिना यह जन सुनवाई जबरिया प्रशासनिक जिद के कारण किया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करती हूं,

और तत्काल इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए और इसके साथ ही पर्यावरण आंकलन और सरकार के रिपोर्ट्स और यहां के जो सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, चाहे वन्य विभाग के डीएफओ का लेटर हो, यहां का सीएमओ साहब चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन सबकी राय लेकर ऐसी जन सुनवाईयों का आयोजन करना चाहिए। मैं उपरोक्त इन बिंदुओं के आधार पर मेसर्स, चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड का विरोध करते हुए, ऐसी जन सुनवाई और ऐसे जबरिया जिद का विरोध करती हूं, यह जन सुनवाई तत्काल निरस्त करके नया ईआईए बनाने का सरकार को निर्देश देना चाहिए और बाकी चीजें जो इनके पर्यावरणीय मुद्दों पर, ये कबाड़ कहां रखेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। इन तमाम चीजों को जानबूझकर कुल 10 बिन्दुओं को छोड़कर मैं जा रही हूं, ताकि वे रिपोर्ट में इनको एनजीटी में केस लगाउंगी, उसमें सबमिट करूंगी तो ये सुधार देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसका मैं लिखित में देते हुए पावती चाहती हूं।

452. गणेश भगत, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
453. टिकेश्वर राम, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
454. कलावती कुजूर, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
455. चन्द्रमणि चौहान, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
456. केकती लकड़ी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
457. अहिल्या यादव, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
458. तेजकुमारी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
459. प्रभा, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
460. चन्द्रवती, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
461. चन्द्रकला, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
462. सुशीली बीबी, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
463. चम्पाबाई साहू, तराईमाल, – उद्योग को समर्थन है।
464. मेवा, पाली, – उद्योग को समर्थन है।
465. ललिता प्रधान, पाली – उद्योग को समर्थन है।
466. लक्ष्मी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
467. राधा बाई, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
468. गुरूबाई, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
469. कुमारी, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
470. रसमती, पाली – उद्योग को समर्थन है।
471. बुधारू, पाली – उद्योग को समर्थन है।
472. विमला, पाली – उद्योग को समर्थन है।
473. गोपाल अहरिया, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
474. फूलसाय, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
475. बलराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
476. अभिराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
477. दीपक, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
478. किशन, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
479. रामलाल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।

480. फागूलाल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
481. सुभाष, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
482. लखेश्वर, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
483. मालिकराम सिदार, पाली – उद्योग को समर्थन है।
484. उत्तम सिदार, पाली – उद्योग को समर्थन है।
485. इंद्रजीत, पाली – उद्योग को समर्थन है।
486. सोनसाय पैकरा, पाली – उद्योग को समर्थन है।
487. ललित, पाली – उद्योग को समर्थन है।
488. दुखीराम सिदार, पाली – उद्योग को समर्थन है।
489. भागीरथी, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
490. वीरसाय, पाली – उद्योग को समर्थन है।
491. गंगाराम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
492. सुरेश मानिकपुरी, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
493. जितेन्द्र यादव, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
494. अभिषेक यादव, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
495. रूक्मि यादव, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
496. मुखद राम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
497. कल्याण सिंह, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
498. धनेश राम सिदार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
499. हेतराम जाटराम, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है। बशर्ते वहां पर मुझे रोजगार मिलना चाहिए।
500. गिरवाल, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
501. देवकुमार सोनी, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
502. जिस्मदेव भुइयां, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
503. प्रेमशंकर, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
504. गौरव सिंह राजपूत, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
505. बीनूदास महंत, गेरवानी – उद्योग को समर्थन है।
506. गुरूचरण, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
507. सुरेश राम, तराईमाल – उद्योग को समर्थन है।
508. रमेश अग्रवाल, रायगढ़– आदरणीय मंच, जन सुनवाई भले ही एक औपचारिकता मात्र रह गई है। लेकिन यहां आकर ऐसा लगता है हम लोगों को कि जैसे हम लोग बहुत बड़े नक्सलवादी, आतंकवादी हैं और मंच पर जो बैठे हुए हैं, पीछे जो बैठे हुए हैं, उनको बहुत भारी खतरा है। ऐसा इंतजाम मैंने कहीं नहीं देखा। केवल एक रायगढ़ में ही हुआ कि एक बार 10–5 कुर्सियां टूट गईं, उसके बाद ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। हम लोग बाहर भी जाते हैं, तो इस माहौल कों थोड़ा सा बदलने की दरकार है। हर जन सुनवाई में मैं यही निवेदन करता हूं कि आते हैं और कैदी के समान, जैसे यहां पर हम कोई याचना लेकर आए हैं, आराम से यहां लोग आए, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। इतनी बड़ी–बड़ी ऊपर तक जालियां, कौन मार कर जा रहा है? हमारा सीएम साहब तक तो खुले में पेड़ के नीचे बैठ कर चौपाल ले लेते हैं। और इतना ही खतरा है तो इतनी सिक्योरिटी है, दुनिया भर के यहां पर पुलिस वाले हैं कौन बदमाशी करेगा। ये व्यवस्था को फिर गंभीर रूप से इस मंच के

माध्यम से रखना चाहता हूँ और जिम्मेदार अधिकारी मैडम कलेक्टर हमारे सामने हैं, ये व्यवस्था बदली करवाईये। मैंने गत बार भी कहा था कि हम जैसे लोग जो कुछ पेपर लेकर आते हैं, एक पोडियम हो सामने तो उसके सामने रखकर हम लोग तरीके से अपनी बात को रख सकें। अभी भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं जैसी है व्यवस्था, हम लोगों को तो बोलने की आदत पड़ गई है। जहां माइक देखे तो राहत मिल जाती है। पहले बात तो मैडम ये जो गेरवानी के प्लांट से और हम लोग यहां पर इतनी दूर बंजारी मंदिर में जो जन सुनवाई करवा रहे हैं, इसका औचित्य मेरे को समझ में नहीं आया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि, आईदर प्रोजेक्ट साइट मतलब जहां पर उद्योग स्थापित हो रहा है, वहीं पर हो, या कि उसके नियरेस्ट स्थान पर। ठीक उद्योग के बगल में इतना बढ़िया मैदान हैं, वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर की जा सकती थी ये जन सुनवाई, यहां पर बंजारी मंदिर का कोई ठप्पा लग गया है क्या कि यहां पर करवायेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि मैडम गेरवानी के आसपास के एरिया से जो भी प्रभावित लोग हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, यहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं वो कैसे आयेंगे। अपनी बातों को कैसे रखेंगे, जो प्रभावित, तो ये जन सुनवाई तो वहीं रखी जानी चाहिए थी, यहां क्यों रखे हैं? और ये जो मैं अपने जो उद्योग लगा रहे हैं उनको भी एक जैसे ये सुझाव का मंच है, अच्छा लगे तो ठीक नहीं लगे तो, मैं तो दे ही देता हूं, इनका धन्यवाद बहुत ज्यादा, कि इन्होंने अपने खर्चे पर लागों को लाने ले जाने का इंतजाम किया क्योंकि इनको मालूम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो बाहर दुनिया भर की गाड़ी यहां पे लोगों को ला लाके यहां पे और अपनी बात कहलवाने के लिए ये उद्योग प्रबंधन के द्वारा इंतजाम किया गया, ये साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानी इनको ये रखनी चाहिए थी कि जिंदल की जन सुनवाई हुई थी, कोयला खदान के लिए और उसमें यही दौर चल रहा था, मैं समर्थन मैं समर्थन, उद्योग आरंभ कर दो मैं समर्थन। तो यह बात समझ जाइए कि हर बात एनजीटी या जहां भी जाएगी वो आपके खिलाफ जाने वाली है। ये समर्थन वाली बात जो है बंद करो। एनजीटी में इसी बेस के ऊपर कि मैं सपोर्ट मैं सपोर्ट क्या बोल रहा है भैया, पब्लिक हियरिंग ही कैंसिल कर दो। समझता हूं मेरा तो कुछ नहीं, लोग अपना मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा लोग मिल रहा है। आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं को भी मैं अभी सुन रहा था और आदरणीय शर्मा साहब के भी नालेज में है शायद इन्होंने केस भी रजिस्टर कर दिया होगा कि जन सुनवाई के पहले ही उद्योग के द्वारा इस परियोजना पे काम शुरू करके और सहयोगवश उस दिन शर्मा जी के आफिस में बैठा हुआ था, जब गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने इस चीज को कहा कि जन सुनवाई के पहले की काम जो है शुरू हो गया है। तो मुझे लगा कि शर्मा जी ने जरूर उस पर संज्ञान लिया होगा और केस रजिस्टर कर लिया होगा। नही किया होगा तो अब कर लेंगे। क्योंकि अब तो बात पब्लिक हो गई है। नहीं करेंगे रजिस्टर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हो गया सर केस रजिस्टर? नहीं हुआ है? कर लीजिए। अब मेरे को एक बात और जो शर्मा जी बतायेंगे मेरे को कि ये नया उद्योग है कि एक्स्पांसन है? या तो उद्योग वाले बता दें। क्योंकि मेरी जानकारी में एक नहीं जो रोलिंग मिल जो है वहां पर प्रोडक्शन चल रहा है। अगर रोलिंग मिल चल रही और वो गूगल इमेज में भी दिख रही है, इन्होंने जो ईआईए रिपोर्ट में जो पिक्चर लगाई है, उसमें भी दिख रही है। तो अगर पहले से वहां पर उद्योग स्थापित है और वहां पे रोलिंग मिल का उत्पादन हो रहा है तो फिर ये तो विस्तार हुआ। तो ये विस्तार है कि नया प्रपोजल है। बता तो भाई मुझे कोई। अच्छा सारी बात रख लेता हूं, ठीक है चलिए। तो पहली शंका तो यही है। क्योंकि इस हिसाब से आपका ये भी चेंज होगा, ऊपर का, विस्तार लिखना पड़ेगा उसमें। अब इस ईआईए के बारे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलू मैं जो हे, पूरी की पूरी ईआईए रिपोर्ट, हां एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, कि उद्योग की जो टेक्नोलाजी है वह वास्तव में बेहतरीन है

और ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन टेक्नोलाजी छोड़कर बाकी सब कुछ बेकार है। टेक्नोलाजी बढ़िया है बाकी ईआईए रिपोर्ट पढ़ने की भी इच्छा नहीं है, मैडम, ऐसा–ऐसा लिख दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी दूसरी ईआईए पकड़ी, उसमें चन्द्रहासिनी का नाम डाला और लो भैया, जन सुनवाई करवा लो। और हां, एक और मजे की बात मेरे को याद आ गई। गलती से हिंदी की ईआईए रिपोर्ट मेरे हाथ में लग गई। मजे की बात ये है कि इंग्लिश में रायगढ़ में लग रहा है गेरवानी में लेकिन हिंदी में रायपुर में लग रहा है। हिन्दी इंग्लिश में इतना फर्क हो जाएगा कि या तो इंगलिश की गलती है, और गलती से रायगढ़ में जन सुनवाई हो रही है, ऐसा हो सकता है। हिंदी में रायपुर में गेरवानी होगा वहां भी गेरवानी मालूम नहीं, उसकी जन सुनवाई यहां हो रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो कोई खास बात नहीं हो तो। क्या बोलते हैं उसको टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाएगा। अब लेकिन हम बात करें कि इस एरिया का जो इन्होंने वायु प्रदूषण का जो माप किया है, ए क्यू मानीटरिंग एम्बिएंट एयर क्वालिटी मानीटरिंग, मैंने ध्यान होगा कि पिछली बार भी इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने बताया था कि इस एरिया में जो है प्रदूषण लगातार घट रहा है, वो पूंजीपतरा वाला उद्योग, क्या नाम था? ये उससे भी आगे निकल गए मैडम। ये भी उससे भी कम बता रहे हैं प्रदूषण और तो और नलवा जितना प्रदूषण बता रहा है फैक्ट्री उससे भी कम बता रहे हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने नोट किया था, कि सेम पीरियड मे जिसमें इन्होंने भी स्टडी की और उसी समय नलवा इस्पात ने भी स्टडी की। उस समय पीएम 10 की मात्रा नलवा बोलता है कि यहां पर 74.1 माइक्रोग्राम थी। अब ये बोल रहे हैं 51 माइक्रोग्राम थी, बहुत कम। पीएम10 जो है उज्जलपुर वो बोल रहे हैं, 53.5 था ये बोल रहे हैं नहीं, केवल मात्र 37, पीएम 2.5 एसओटू नाक्स कोई आंकड़ा अपने स्वयं के भाई, बड़े भाई होंगे इनके, उनसे मैच नहीं हो रहा है। मैच तो दोनों के ही नहीं हो रहे हैं। सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टडी मेरे पास में है जो कि मैं दे भी दूंगा। और उनकी रिपोर्ट कहती है कि तराईमाल इंडस्ट्रियल बेल्ट में कोई भी नया उद्योग या विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहां प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलाजी भले ही आपकी उन्नत किस्म की है और इस उद्योग को बढ़ावा दिया भी जाना चाहिए, लेकिन साइट ठीक नहीं है। यही अगर किसी दूसरे स्थान पर लगाया जाए इस उद्योग को जहां पर प्रदूषण की इतना भयावह स्थित नहीं हो, वहां पर इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हम खुद भी ऐसे उद्योगों का सपोर्ट करेंगें, लेकिन ये तराईमाल में नहीं। का लगही। कहां लगाए बर। अब वो मन की इच्छा है जहां ले जाही, हमन के कहे ला थोडी जाहीं। अब ये कितना कट एण्ड पेस्ट जो है इस ईआईए रिपोर्ट में है उसका एक–दो उदाहरण मैं दूंगा, बाकी आपका समय खराब होगा, एसीएसी ने अगर गंभीरता से काम किया ईमानदारी से काम किया, वो करना भैया एसीएसी को बोल रहा हूं जो ईमानदारी से गंभीरता से उन्होंने जो ये एम्बिएंट रिपोर्ट बनाकर देंगे या दिया तो मंजूरी तो नहीं मिल रही। अब ये बोल रहे हैं कि ग्राउंट वाटर से दे दिया है ये, भूजल का यहां पर उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक स्टडी का हवाला देकर कह रहे हैं 2004 में हुई थी जो कि सीजीडब्ल्यूबी और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर किया था। 2004 में। मैडम 14 साल हो गया उस स्टडी को उस समय सेफ रहा होगा पर अब सरकार धान लगाने के लिए पानी लेने नहीं दे रही है तो या तो हमारी सरकार के आंकड़े गलत हैं या फिर जो है ये स्टडी के आंकड़े गलत है। तो इस पर जो है ईआईए कंसलटेंट को जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि उस पर ध्यान दें और अपनी फाइलें ले आइए रिपोर्ट में इसको जो है सुधार लें नही तो मामला एसीईसी में लटक जाएगा। फिर ये एरिया बदनाम है, खूनी सड़क बोला जाता है इसको, आये दिन एक्सीडेंट होते हैं यहां पर, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन यहां एक्सीडेंट नहीं होता। फिर क्या आपके उद्योग से प्रदूषण नहीं होगा आप मान रहे हैं कि आपकी टेक्नोलाजी उन्नत किस्म की

है, लेकिन आपके जितने ट्रक यहां पे दौड़ेंगे, हालांकि इन्होंने कितने ट्रक दौड़ेंगे इसकी संख्या तो नहीं दी है, लेकिन उस चीज का अध्ययन उन्होंने लिख दिया है कि क्या ये सड़क और इसका लोड वहन करने को काबिल है या नहीं है? यदि ऐसा मानकर चलते हों कि लोग तो रोज ही मर रहे हैं, एकाध हमारे उद्योग से भी मर जाएगा, क्या फरक पड़ेगा। ये मानसिकता तो बदलनी होगी नही तो लोग जिस दिन डंडा लेकर खड़े हो गए तो ईआईए सारी बदलनी होगी। आज इस मंच के माध्यम से चूंकि ये बात ऊपर तक जाएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ईआईए उद्योग के द्वारा बनाई जाती है। और जो ईआईए बनाता है कंसलटेंट उसको ये बुक भी करते हैं पैसा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह तो अपने क्लाइंट के फेवर में ही लिखेगा। और अगर एक भी कंसलटेंट ने अगर क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी बना दी की ऐसा नहीं है तो आगे से उसको काम कौन देगा। इसलिए ईआईए रिपोर्ट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में उद्योग लग रहा है, उनसे ईआईए को नागपुर, हैदराबाद और कलकत्ता से आकर ईआईए बनाकर चले जाते हैं 3 महीने रूक के, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस माहौल में हम जी रहे हैं और यहां की क्या प्राब्लम्स हैं। और ये न समझें कि वो निपट अनपढ़ हैं, हम कुछ समझते नहीं। अनपढ़ लोगों के बनाए हुए बांध आज अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग लोगों के लिए चैलेंज बन गया है कि हुआ तो हुआ कैसे? हालांकि इन कंसलटेंट का मिनिस्ट्री भी ईआईए जो बनाते थे कट पेस्ट इसका उठाया उसमें जोड़ा, भानुमती का कुनबा कर देते थे। मिनिस्ट्री भी परेशान थी, उन्होंने कह दिया कि सारे कंसलटेंट को एक्रिडियेशन करवाना पड़ेगा। मान्यता लेनी पड़ेगी। वहां से सबने मान्यता भी ले ली। लेकिन फिर भी बाज नहीं आये वो कट पेस्ट से वही हो रहा है और हम कई बार उनको लिख भी चुके, किसी का लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हुआ। फिर ये पूरा कुनबा, मैं ये पूरी ईआईए उनको भेज दूंगा फिर आप उसे देखिए, ऐसी–ऐसी ईआईए बन गई। ये जो उद्योग लगायेंगे या जो प्रपोज है उसकी मानीटरिंग भी करेंगे। एसओ2 एनओ2 फलाना ढेकाना के लिए जो है मानीटरिंग भी करेंगे, तो 4 स्टेक लगाने की ये बात कर रहे हैं चिमनी, 2 डीजी सेट में और 2 इंडक्शन फर्नेस में, किसमें लगायेंगे भगवान जाने। लेकिन बता रहे हैं कि इसके एक स्टेक लगायेंगे। चैप्टर 10। और स्टेक मानीटरिंग को बता रहे हैं 6.2.3 । अब एक स्टेक लगायेंगे या 4 स्टेक लगायेंगे सिंघानिया जी बताएंगे। और मजे की बात मैडम, अब कौन दिमाग खराब करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल 95 किलोलीटर पानी ये यूज करेंगे। उसमें 5 केएलजी वो घरेलू उपयोग में रहेगा, यानी ये पिएंगे उसी पानी को और 90 केएल पानी जो है वो उद्योग में खपतहो जाएगा और वो वाष्प बनके उड़ जाएगा, ऐसा ही है न? तो भैया फिर ये ईटीपी एसटीपी क्यों लगा रहे हो? ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट। भाई जब पानी तुम्हारा वाष्प बनकर उड़ ही जाएगा और मात्र 5 किलोलीटर आप घरेलू करोगे उसको आप सेप्टिक टैंक में डाल दोगे, फिर ये ईटीपी और एसटीपी क्यों लगवा रहे हो? हटा दो उसको आप फालतू खर्चा करवा रहे हो उनका हटा दो। एक सुझाव दे रहा हूं मैं मैडम, मैं चाहता हूं कि ये उद्योग लगे लेकिन यहां नहीं, तिल्दा, भगोरा उधर उजाड़ में लगाओ। पब्लिक के लिए मैं बड़े दिल से इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस एरिया में नहीं करूंगा और ईआईए जरा ढंग की बनवाओगे तो। वहां भी लगाओगे और ऐसे एनाकोंडा वोंडा से बनवाओगे तो फिर ये। मालूम नही तो भईया लिखे तो हैं एनाकोंडा जइसे, जो बनाइस हे ईआईए मालूम नहीं का है। ऐसे तो समझ में आइस हे मोला। और फिर वो जो अभी बोल रहे थे कि अब मात्र 3–4 इंडस्ट्री इस एरिया में बता रहे हैं ये, तो मैं सुन रहा था, जयंत भाई भी बता रहे थे, तो उसको रिपीट करना। जिंदल भाई साहब से क्या दुश्मनी है इनकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लेकर बैठा हुआ है अगला। इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया, 30 इंडस्ट्री है वहां पे और मजे की बात ये है कि खुद लिख रहे हैं न, ग्राउंट टू सर्वे बाई एनाकान टीम। मतलब वो स्वयं घूम घूम कर

इंडस्ट्री का ये डाटा इकट्ठा किया है। ये लिखा हुआ है यहां पर टेबल 2.3। ग्राउंड टू सर्वे कंटेक्टेड बाई एनाकान टीम। या तो ये टीम यहां पे आई ही नहीं और और नागपुर में बैठे बैठे इन्होंने बना दिया। और क्या बोलूं। अब जिंदल बड़े प्लांट को अगर वो, यहां पे खाली एकठो नालवा, सिंघल, सालासार, सुनील और अंजनी को तो याद कर लिया इसे भी भाई स्पांज आयरन प्लांट कहते हैं। उनका प्रदूषण कहां जाएगा? मिनिस्ट्र, एसीईसी जो अप्रूवल ग्रांट करती है तो इंडस्ट्री पूछने का मतलब यही होता है कि उस एरिया में कितनी इंडस्ट्री हैं और आलरेडी वहां पर कितना पाल्यूशन है। अगर आप इंडस्ट्री की संख्या कम बताकर और बोलेंगे कि क्या पालूशन लोड नहीं है, तो पूरे इंडस्ट्री बता तो वहां पर, बाकी सब एसीईसी मालिक खुद समझदार हैं, वो समझ जाएंगें। उस एरिया की क्या हालत है। बस आखिरी एक बात। वो अशोक भाई वहां मानेगा नहीं, गेरवानी का है, जिला पंचायत का सदस्य भी रहा है, घेर लेगा निकलने नहीं देगा। सही है । अब मैं अभी बात बड़े भाई से भीबात हुई। मेरा आदरणीय हैं बहुत जानकार हैं कि इस इंडस्ट्री में कोयले का उपयोग नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। भाई जब कोयले का उपयोग नहीं होगा तो पेट कोक का क्या करोगे? तैं बोलत हस कि कोयला नहीं लागे और पेट कोक। हमन जो कोयला जो यूज करथन वो फैक्ट्री में होथे, ओखर से जादा खतरनाक है। सॉरी, छत्तीसगढ़ में उससे बोल रहा था तो यहां भी छत्तीसगढ़ी में। पेटकोक द फ्यूल आफ दी वर्ल्ड। तो उनसे निकलता है पदार्थों में से। अपने प्रोसेस भी बड़ी टाइमली बता रहे हैं। लेकिन 2.7 टेबल 2.7 पे लिख रहे हैं पेटकोक। 3300 मिलियन टन। यूज करेंगे। मतलब कहने का कुल मतलब यही है कि ये बताये आंकड़े जो मैंने ये सुधार भी लेंगें, तो कुल मिलाकर यही है कि ईआईए रिपोर्ट जो है ये सुधरेंगे नहीं, न हम सुधरेंगे। आदत से हम भी मजबूर हैं, आदत से ये भी मजबूर हैं। बस ढंग की ईआईए बनाना शुरू कर दें या फिर जैसा मैंने कहा था, कम्युनिटी को सौंप दें, तुम ईआईए तैयार करो और फिर जन सुनवाई करवाओं, लेकिन ये सारी खामियां मिली ही मिलेंगी। दाउ जी, हो गइस की जाउं। ब्रेक मार दूं । नहीं मैं घर चल दे थों। थैंक्यू मैम।

509. रामकुमारी, जलहरी – समर्थन करती हूं।
510. शांति, देलारी – समर्थन करती हूं।
511. भागवती, देलारी– समर्थन करती हूं।
512. अशोक बाई, देलारी– समर्थन करती हूं।
513. कंचन, देलारी– समर्थन करती हूं।
514. रश्मि शर्मा, पाली– समर्थन करती हूं।
515. विनी यादव, पाली– समर्थन करती हूं।
516. अनीता सिदार, पाली– समर्थन करती हूं।
517. रामेश्वरी, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
518. गौरी कुमारी, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
519. मुक्ता, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
520. कमला, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
521. पुष्पा हंसराज, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
522. मीना बंजारे, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
523. मंजू, तराईमाल– समर्थन करती हूं।
524. चिंतामणी प्रधान, पाली– समर्थन करता हूं।
525. प्रदीप चौहान, देलारी – समर्थन करता हूं।

526. नरेश चौहान, तराईमाल – मैं चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड को समर्थन करता हूं।

527. नारायण बंजारे, तराईमाल– समर्थन करता हूं।

528. सत्या बर्मा, तराईमाल– समर्थन करता हूं।

529. मंजनू अहरिया, गेरवानी– समर्थन करता हूं।

530. सोहन, गेरवानी– समर्थन करता हूं।

531. सुरेश यादव, तराईमाल– समर्थन करता हूं।

532. भवानी गोयल, तराईमाल– समर्थन करता हूं।

533. शर्मा तराईमाल – समर्थन करता हूं।

534. रामायण तराईमाल – समर्थन करता हूं।

535. दिलीप सिदार, पाली – क्या बोलूं छोटा आदमी हूं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी इंडस्ट्रियल हैं बहुत बड़े उद्योग लगे हुए हैं लेकिन यहां जो वर्करों का शोषण हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं काफी मतलब इस बात को सोचता हूं कि आपके छोटे छोटे मतलब वर्कर लोग कहां जाएंगे क्या करेंगे। जितने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उतना करते नहीं है। अगर इस विषय को अगर ध्यान दिया जाए तो हम जरूर समर्थन करेंगे। बाकी ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा मैं, धन्यवाद।

536. विनोद कुमार उनसेना, ग्राम गेरवनी – मैंडम इस उद्योग के केवल मेरिट की बात हो रही है। डिमेरिट की एक भी बात नहीं हो रही है। यहां केवल ये बताया जा रहा है कि इस उद्योग से लाभ कितना है, हानि का कोई नहीं बता रहा है। यहां सबसे बड़ी समस्या ध्वनि की और मैडम वहां से केवल कुछ दूरी पर, केवल कुछ दूरी पर स्कूल है जहां मैं भी पढ़ता था। नाइंथ, टेंथ मैंने दो क्लास पढ़ी। ध्वनि की कोई बात नहीं हो रही है, यहां केवल समर्थन और इसी की बात हो रही है कि इससे फायदा होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा लेकिन कोई ध्वनि की बात ही नहीं कर रहा है। जबकि सबसे बड़ी समस्या यहां ध्वनि की है। मैडम, चार क्लास लगते हैं नाइंथ, टेंथ, इलेवन, टुयेल्थ। और स्कूल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक में। जिसकी मतलब इतनी और थोड़ी दूर है और उसमें केवल केवल साउंड आप, लास्ट में बैठ जाइए उस स्कूल के लास्ट बेंच में बैठ जाइए, आपको केवल और केवल साउंड सुनाई देगी और आज से नहीं 2007, 08से वहां से पढ़ा हुआ हूं। नजदीक में स्कूल है लेकिन ध्वनि की कोई बात नहीं हो रही है जबकि ध्वनि की बात होनी चाहिए और ध्वनि इतना परेशान कर रहा है, लोगों की स्थिति क्या समस्या बताउं मैं मैडम, केवल ध्वनि से तो नींद कभी नहीं आ रही है, श्रवण शक्ति मानव की खत्म होती जा रही है। कोलेस्ट्राल बढ़ रही है और तो और मैडम पूरा समस्या जो है केवल ध्वनि के साथ साथ ये भी है कि बार बार लोगों मतलब जैसे मैडम इस साल यहां एक्जाम हुआ था नाइंथ और टेंथ इलेवन और ट्वल्थ का और पास में प्लांट है, सालासार इस्पात और जस्ट हमारे गांव के पीछे में प्लांट है अंजनी स्टील। मैडम, एनीटाइम इनकी का नाम है भूल जा रहा हूं, हर समय बायलर जो है हर समय आवाज कर रही है और वहां के जन प्रतिनिधि को बोला जाए कि एक बार बात कर कम करवाओ, एक्जाम है कोई ध्यान नहीं दे रहा मैडम। केवल और केवल आवाज आ रही है, हर थोड़े–थोड़े देर में आ रही है। बार बार बोले जा रहे हैं, गांव में भी कई लोग हैं कि बोलते हैं कि एक बार बंद करवाओ, उनको बोलो, प्लांट खुलने तक तो समर्थन है, लेकिन प्लांट बंद होने का समर्थन, मतलब जैसे भी कोई जन प्रतिनिधि नहीं आता। और मैडम, बार बार ये भी होता है कि इंडस्ट्री सिकनेस आधार पर औद्योगिक रूगणता की स्थिति बताकर लोगों को काम से बाहर कर दिया जाता है कि आय हमारा कम है आमदनी कम है। और नेताये ज्यादा है, हम उनको काम में नहीं ले सकते, बाहर कर देते हैं। तब उस समय कोई जन प्रतिनिधि

सामने नहीं आता और उस समय भी ऐसे समर्थन करते लोगों को उठाते और बोलते कि यहां कि चलो अब बताते हैं इनको कि उद्योग में लगाते हैं, लेकिन उस समय कोई बात नहीं होती। केवल उस समय बात होती है जब जन समर्थन की और वो लोग ही समर्थन करते हैं मैडम जो पेशे में सफल होते हैं, जिनके पास राजनीतिक औकात है। और मैंडम ये स्किन की प्राब्लम मैं बार बार बोल चुका हूं और मैं ये सूचना का अधिकार भी लगाया था। आपके अधिकारी के नाम से मैंने लगाया था मेरे को जानकारी भी मिली कि बहुत सारे उद्योगों को बहुत को क्या किसी को भी पर्यावरण स्वीकृति इसके लिए नहीं मिली है। तो पर भी फ्लाई ऐश को जहां भी फेंक रहे हैं, जहां पे भी फेंक रहे हैं, आज यहां से कचरा निकल जाएगा इस उद्योग से उसको भी कहीं फेंक देंगे और मैडम नियंत्रणकारी संस्था तो आप हैं, आप ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन कंट्रोल करेगा इसको। हम बार बार निवेदन, अनिवेदन, प्रतिवेदन की राजनीति कर ही रहे हैं मैडम बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं भारत के दो बड़े संस्थान अपने इलाज करा चुके स्किन की प्राब्लम आज भी है मैडम, देख लीजिए। आज भी निकली हुई है। मैं सीएमसी में भी चला गया, तमिलनाडु वेल्लोर और मैंडम मैं दिल्ली में भी अपना इलाज करा लिया, मेरे सारे रिपोर्ट नार्मल हैं मैडम, सारे रिपोर्ट नार्मल हैं। ये केवल और केवल वायु प्रदूषण का है और वायु प्रदूषण की है और इतनी स्थिति खराब है गेरवानी गांव की, हमारे गांव की मैंडम कि रोड में हमारे गांव के रोड में रहता हूं मैडम, आसपड़ोस को सभी को है। खासकर प्रसूता महिलाओ को ज्यादा है मैडम ये। खासकर प्रसूता महिलाओं को ये प्राब्लम हो रही है और मैं जब भी जाता हूं, मेडिकल रिपोर्ट है, मेरे रिलेटिव है, मेडिकल स्टोर में बैठता हूं मैडम, वहां केवल एक ही समस्या देखता हूं मैं कि वे एक ही समस्या के लिए आते हैं कि मेरा ये निकल रहा है मेरा ये निकल रहा है और वे एलर्जी की टेबलेट लेकर चले जाते हैं। उसे ठीक हो जाता है तो ठीक तो ठीक है मैडम और नहीं ठीक होता है तो और बढ़ता जाता है। और इसके उपर न कोई स्वास्थ्य विभाग और कभी मैंने न आवेदन दिया है मैडम, बार बार मैंने आवेदन दिया है। कई बार मैं रिसीव लेना भूल जाता हूं लेकिन मैने दिया है, कई बार दिया है। दूसरा मैडम ये बार बार ये मुद्दा उठ रहा था कि लोग जो हैं, हमारे गांव में हर चीज को परमीशन देते हैं ग्राम पंचायत में बैठकर। ग्राम पंचायत में बैठकर परमीशन देते हैं, लोग खाली यही मुद्दा उठा रहे हैं कि ग्राम पंचायत अनुमति देती है। क्या ग्राम पंचायत केवल अनुमति से सब कुछ हो जाता है मडैम। ग्राम सभा में होना चाहिए जो लोग हैं ग्राम सभा के, जिनको वहां जाने का अधिकार है, जो ग्राम सभा में 21 वर्ष से लोग हैं जो वहां बैठ सकते हैं, जो वहां के हैं उनसे भी कुछ पूछा जाना चाहिए, केवल ग्राम पंचायत अपना परमीशन दे देती है कि यहां कर ही डालो और फलाने डाले देता है। लेकिन मैडम ठीक है वो तो कम योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं योग्यता का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, जिला प्रशासन करती है अधिक योग्यता का प्रतिनिधि तो आप करते हैं, आपको जाना चाहिए कि मैंडम, आपको नियंत्रण लगाना चाहिए कि, ये है कि ये नहीं है। क्या सही है क्या गलत है। वो तो कम योग्यता का प्रतिनिधि करते हैं। दबाव में पैसों के लालच में या जो भी मैडम, जिसमें भी आते हैं और अनुमति दे देते हैं, लेकिन समस्या तो हमको भुगतना पड़ता हैं। महात्मा गांधीजी ने ये नहीं कहा था कि, महात्मा गांधी ने इसलिए ग्राम पंचायत का संगठन की बात की थी कि जब गांव में एक समस्या और लगी हुई है इसी उद्योग से कि जितने भी युवा हैं जितने भी युवा हैं उनको केवल यही बोला जाता है कि आपकी योग्यता नहीं है यहां पर और सर गांव मे पैदा हुआ आदमी कौन से स्कूल कालेज में जाएगा। बड़े बड़े आईआईटी आईएम तो सब रायपुर में बने हुए हैं। यहां का सीएसआर फंड तो रायपुर में यूज करते हैं मैडम। मैंने इसकी भी जानकारी ली थी, इसका भी आरटीआई लगाया था कि कहां कहां सीएसआर मद का पैसा खर्च हुआ और लोग यहां आते हैं जन प्रतिनिधि बनकर आते हैं यहां कहते हैं कि उद्योग हमको एम्बुलेंस दे, उद्योग हमको फायर बिग्रेड दे, उद्योग हमको स्वास्थ्य

दे। जब भारत सरकार ही नहीं दे पा रही है तो ये छोटे से उद्योग क्या देंगे जबकि वो कार्पोरेट टैक्स के नाम से दे भी दी है हमारे सरकार को दे भी दी है। 2 परसेंट दे भी रही है वो यूज कहां हो रहा है पता नहीं। एडम, स्मिथ से लेकर कालमार्क तक सब यही बोले कि प्रकृति के पास अपार संसाधन हैं, लेकिन तभी गांधीजी ने हमारे कहा कि नहीं प्रकृति के पास अपार संसाधन तो हैं लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ भी नहीं और सर आज यही देखने को मिल रहा है हमको कि हम कोर्स, विज्ञान की पुस्तक में हमको पढ़ा तो दिया जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वो जो देखता है उससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करता है और आज स्थिति और खराब है और गंदे और गंदे और गंदे होते जा रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है। आज भी इंसान के पास तो बोला जाता है जानवर के पास तो एक विशेष उनके पास अंगूठा है और वो हर चीज को उठा सकता है। असर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है अंगूठे में उठा रहे हैं। जन प्रतिनिधि सारे मिल जाते हैं और एक उद्योग का समर्थन कर देते हैं। वो खुल जाता है। बार बार पेड़ को कटाई मत करना बोलकर वृक्षारोपण मना रहे हैं, वृक्षारोपण दिवस कर रहे हैं सर, एक भी पेड़ कटता है, जितने भी सालासार स्टील के पास जितने भी पेड़ कटा सर मैंने एक एक की फोटो खींचकर पहले मैं नहीं जान रहा था कि इसको कहां शिकायत किया जाए तो मैंने सबसे पहले वन विभाग को शिकायत किया तो वन विभाग के लोग, उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आप तहसीलदार को करिए तहसील आफिस में करिए। मैंने माननीय नीलम टोप्पो सर जी थे, उनसे मैं शिकायत की एक बार नहीं दो बार लिखित शिकायत की, पहले मैंने मौखिक की तो वो बोले नहीं मौखिक हम नहीं सुनते हैं लिखित करके दो। लिखित करके दिया लेकिन सर एक भी कार्यवाही नहीं हुई। केवल वृक्षारोपण दिवस मनाना ही है या सर उसे रोकना भी है। सर वृक्षारोपण मना रहे हैं हम तो उसे ऐसा मनाया जाए कि वृक्षारोपण हो भी और कटे भी न पेड़। पेड़ लगाने के लिए हर जगह यही पेड़ लगा रहे हैं लोग और एक ओर काट भी रहे हैं तो बचेगा क्या? सर मुझे आपसे प्रतिक्रिया चाहिए ध्वनि प्रदूषण के नाम पर आप बतायें कि ध्वनि प्रदूषण कैसे रोका जाए? आप बोल कर भी चले जाएंगे, लोग आकर बोल कर चले जाएंगे, लेकिन ये रूकेगा कैसे सर, समाधान तो बताएं। मैडम ने कहा, आप अपनी पूरी बातें रख लीजिए, एक साथ अपनी बात रख लीजिए फिर उद्योग के कंसलटेंट आपको बताएंगे। पुलिस भी वही स्थिति है सर पुलिस की भी। साउंड बढ़ती है पुलिस को भी इन्फार्म करें तो वो भी नहीं लेते सर कुछ नहीं करते। मैंने पहले किया, अभी तो नहीं पहले किया बहुत बार बार जाकर अप्लीकेशन दिया, बार बार जाकर बोला मैंने थाना में मेरे को सारे टीआई का नाम मालूम है सर जिन जिनको जिनको व्यक्तिगत रूप से मैंने बोला कि सर ये स्थिति है, ये स्थिति है। सर ये तो स्वचालित प्रणाली होना चाहिए कि जैसे साउंड आया लोगों को पता चले कि हां ये साउंड आया, तुरंत सर वो उद्योग विभाग को या जिला प्रशासन को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये चीज तो बनी ही नहीं है। स्वचालित प्रणाली है ही नहीं। केवल सर हम एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, यहां निवेदन वहां निवेदन वहां प्रतिवेदन वहां अनुमोदन, केवल यही कर रहे हैं सर, कुछ निकल तो रहा नहीं है। आज स्थिति वही है सर आज कि मैदान में भी जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। किसको बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन, जनता को जनता बेचारी कुछ कर ही नहीं रही है, कर तो उद्योग वाले रहे हैं, उनको बताते, प्रशासनिक अधिकारी को बताते कि ऐसी हो रहा है। ये जो है कि प्रदूषण ऐसा फैलता है इस पर कंट्रोल कैसे होना चाहिए। जनता को बता रहे हैं जनता क्या करेगी सर। गांव के लोगों की भी वही स्थिति है सर, मानसिकता बन चुकी है कि आज कि कुछ होना जाना नहीं है केवल समर्थन कर दो बात खत्म। उद्योग लगेगी, गांव के जो लोग पेशेवर उस ग्रेड के लोग होंगे उनसे जाकर बोला जाएगा वो लोग लगा दें तो ठीक है नहीं तो ठीक है। मंगलू, लोढ़ा कहां जाएगा ये सर। वो तो केवल घर में बैठा है लोगो को कह रहा है कि नहीं चलो लगा

दो उद्योग लगाई नहीं रहे हैं कोई। आज फ्लाई ऐश डाल दिया सर, सारे जगह से हमारे इतने पेड़ थे, जिनसे हमें विटामिन सी डी की प्राप्ति होती थी। इमली के पेड़ हैं सर, आप भी जाएंगे सर वहां एक बढ़िया चर्चित ढाबा है सर स्टार ढाबा के नाम से, उसके सामने देखेंगे सर दो पेड़ लगे हुए हैं इमली के वो भी फ्लाई ऐश में दब चुकी है सर और वो भी गांव के लोगों के इमली और इस सबकी विटामिन सी के आय के स्रोत थे, जो प्रसुताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो काजू किशमिश बादाम छोहारा तो खा नहीं सकते, वो वही खायेंगे और वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। सर जैसे आप आये हैं अभी पास में ही सर छोटा पुल के नाम से फेमस पुल है उसको बगल में आप देखें सर पूरा पूरा फ्लाई ऐश कैसा पड़ा हुआ है। आप बताएं सर नदी वहां तक पहुंच गई है और नदी में वो फलाई ऐश जाएगी कि नहीं जाएगी। सर जल संसाधन विभाग को देखकर तो कम से कम कर लेना चाहिए सर, जो चीज है उसको चीज को देखकर करना चाहिए। आप देख रहे है सर पूरा फलाई ऐश बिखरा हुआ है। सर बार बार कितना बोले किं फलाई उड़ रहा है फलाई ऐश समस्या हो रहा है। कार्यवाही कब होगी सर। पेड़ भी तो काले हो गए जमीन भी काली हो गई। गड्ढे भरे हैं ठीक है परमीशन तो देंगे पर मानव बसाहट के बीच में परमीशन कैसे दे देगा कोई। गांव के चारो जगह हमारा गेरवानी गांव है स्थान है, चारों साइट है चारो जगह। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां फलाई ऐश नहीं है। केवल परमीशन इस आधार पर दे दिया जाएगा कि वहां गड्ढे थे, और मानव बसाहट का क्या सर। मानव बसाहट की की तो कोई अर्थ नहीं रह गया। ग्राम पंचायत में सरपंच एक बार मुददा उठाया कि ये फलाई ऐश को दूर हटना चाहिए। उसने गया सर, प्लाट से शिकायत की तो थोड़ी देर के बाद मेरे को उनसे सुनने में आया कि जिसने डाला है उसने उनसे फोन करके कह रहा है कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे को प्र्यावरण विभाग का बताया गया है। और मजे की बात यह सर की जिस उद्योग की मैंने शिकायत करने गया था वो उस उद्योग का कर्मचारी कहता है कि सुबह आकर तुम अपना आवेदन ले जाना। सर आवेदन दिखा देता है ऐसा सेटिंग है बताओ, पर्यावरण विभाग में आपके। सर दूसरे दिन कहता है कि ये तुमने दिया था ये देखो। आज भी सर ये उद्योग लगे, लगे सर उद्योग आज स्थिति इतनी खराब है, जीडीपी का स्तर इतना गिरा हुआ है। सारा चीज खराब है, उद्योग लगे सर मैं इसका समर्थन करता हूं उद्योग लगे, ऐसा नहीं कि उद्योग न लगे, लगे उद्योग इतनी स्थिति खराब है इतनी दयनीय स्थिति है भारत देश की, बेरोजगारी अनइम्प्लायमेंट इतना बढ़ चुका है कि कोई सीमा नहीं लेकिन सर इसके दोष की कोई बात ही नहीं हो रही है। सर मैं आपके द्वारा भी जानकारी दी गई थी कि कहीं भी किसी भी उद्योग के फ्लाई ऐश डालने की परमिशन नहीं देंगे, ये पर्यावरण विभाग से मैंने आरटीआई के तहत मांगा था। पर सर कार्यवाही कब करेंगे। एक बच्चा सर उसमें गिर गया था, मैंने रायगढ़ के डायनेमिक कलेक्टर साहब को उसको वीडियो दिखाया फोटो दिखाया कि देखो सर ऐसा बच्चा फलाई ऐश में गिर गया, वो भी कार्यवाही नहीं किए। हर बार जब भी सोमवार को लगती थी जनदर्शन मैं वहां जाता था एप्लीकेशन देता था और चला आता था सर। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास डाक्यूमेंट नहीं हैं, मेरे पास डाक्यूमेंट हैं सर और जैसे मैं यहां से मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में भी गया था पर्यावरण विभाग, केन्द्रीय मंत्री के पास लेकिन सर 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। मैं उनसे मिलने के लिए गया था, मैं अपना क्लास छोड़कर गया था उनसे मिलने के लिए कि एक बार मिलूं तो सही एक बार और बारे में एक बार उनको बताउं तो सही, लेकिन सर वो तीन दिन बाद केन्द्रीय मंत्री जी के द्वारा सुधार किया जायेगा। कब सुधार किया जायेगा। हम वहाँ इतने दुर रहते है। अपने घर ही देख लो हमारा घर ही साफ नहीं है। गोद ग्राम होने के बावजूद हमारे जो जनप्रतिनिधि है। गोद ग्राम होने पर विकास तो कर रहे है। लेकिन विकास के साथ–साथ जो डीमेरिट्स हो रहे है दोष लग रहे है, जो आस पड़ोस में फ्लाई ऐश डाला जा रहा है। उसका कोई बात नहीं हो रही है। केवल प्रदूषण हो रहा

है। और कोई बात नहीं है। रोड बना रहे है, पानी की टंकी लगा दे रहे है, पाईप लगा दे रहे है, बस हो गया। बस उतना ही है सर। केवल अनाज बाट दे रहे है, 02 रू., 01 रू., 25 पैसे नमक बाट रहे है। लेकिन स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगठन डब्ल्यू.टी.ओ. के द्वारा भी ये बात माना है कि स्वास्थ्य को पहले दर्जा दिया जाये। स्वास्थ्य ही नही रहेगा तो फिर क्या फायदा हमारा। स्थिति को परिस्थितिजन्य बताया जा रहा है ऐसे तो लोगो की स्थिति है। जब भी देखे तो स्थिति को परिस्थितिजन्य बता दे रहे है। तो वहा प्रदूषण होगा ही। तो समाधान तो कुछ है ही नहीं सर। तो खोली देते है सर पूरा प्लांट ही खोल देते है। तो गॉव को दूसरे जगह बसा देते है। जैसे लाखा गॉव था उसको दुसरे जगह कर दिया गया है तोड़ के ऐसी तैसी कर देते है। इसको भी हटा देते है। हम तो रह ही नहीं सकते है। तो फिर उद्योग ही खोले सर। तो फिर करेगे क्या। किसी भी जन प्रतिनिधि के अवकाश ही नहीं है। सर वो केवल उसी समय पर अवकाश है जो कार्य कर रहे है। उसके पास अवकाश ही नहीं है। वो किसी मुद्दे पर बात ही करना नहीं चाहते है। कि ये मुद्दे है। न इस पर बात हो। कभी कोई बात् नहीं करना चाहता है। केवल समस्या ही गिना रहे है सर। ये समस्या, वो समस्या लेकिन उसका समाधान कुछ नही होही नहीं रहा है। ठीक है सर मैं अपना बात पुरी करता हूँ। धन्यवाद सर।

537. प्रकाश त्रिपाठी, ग्राम लाखा – मैं भी यहा कुछ बिन्दुओं को रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बिन्दु तो मैं ये रखना चाहता हूँ, कि हमारे जितने भी विद्वान भाई बंधु यहॉ पहुच पाते है एक प्रतिशत लोग भी उनकी बातों को मैं आज जिंदल के स्थापना से लेकर अभी तक सारे उद्योगो को देखते आ रहा हूँ। उसका हमारी बातो का उत्तर देने के लिए एक कौन रेड्डी जी कह कर आते है। हर का उत्तर वहीं दे देता है। मैं शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। वे पर्यावरण प्रदूषक है। मैं उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लेटर भी दे चुका हूँ। मैडम जी मेरा अनुरोध है कि मेरे बातों को गौर से सुने। आपको इस पद पर इस लिये बैठाया गया है कि आपके बच्चे है। आप उद्योगो वालों को भी देखे साथ ही इन बच्चों का भी ध्यान रखे। मेरे शब्दो के अनुसार। तो मैं क्या कर रहा है रेड्डी सहाब वो कहां के है आंध्रा, विदेश और कहां के रहने वाले है और यहॉ के निर्णय वो देते है। तो महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे दिया जाये और हमारा नाम उसमें से काट दिया जाये। जब वो रहेगे यहॉ तब उनको समझ में आयेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जो भी जितने लोग बोले है। रेड्डी सहाब को यहॉ खड़े करके हमारा उत्तर मत दिलवाईए। हो सके तो आप दे सके तो मैं आपका स्वागत कराता हूँ। और सबसे बड़ी बात है। उद्योगों दद्रिम नास्ती। मै ब्राहम्ण आदमी हूँ। मुझे वेदों का हूँ। मेरे घरों में वेदों का पाठ किया जाता है। मै उनको सुनते रहता हूँ। तो ये वेदो में लिखा है कि उद्योगों दद्रिम नास्ती। हमारा यह क्षेत्र एकदम गरीबी, भुखमरा एवं आदिवासी इलाका है। हम गरीब लोग है। तो उद्योग से दद्रिता का नाश होगा। प्रमाणित तौर पर संभव नहीं है। पर जो मैने देखा बाहरी लोग जितने भी है। वो तो अरबपति, खरबपति, शंकपति और कितने पति बन गये। लेकिन जो हमारे इस क्षेत्र के निवासी यहॉ है। जो कभी महुआ बिनके अपना पेट चला लेते थे। डोरी बिन के, अपने खेती के लिये एक जोड़ी बैला खरीद लेते थे। तेंदु पत्ता तोड़कर अपनी बेटी का विवाह कर लेते थे। वो आज गर्त से गर्त में चले गये। इसकी चिन्ता प्रशासन को करनी चाहिए और इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात यह क्षेत्र लाखा वन विहार के नाम से जब मैं छोटा बच्चा था। लाखा वन विहार के नाम से इतना शुद्ध पर्यावरण, इतना स्वच्छ इलाका था, कि लोग अपनी बात मनवाने के लिये मानसिकता, अपनी थकान आज ये स्थिति है कि हमारा गरवा गाय कही भी जाती है तो वह भालू बन के आती है। इनका भी कुछ हल निकालो। इसका भी कुछ महोदया से इसका उपाय का हल जानना चाहता हूँ। वन जीव संरक्षण, बड़े–बड़े बोर्डो में लिखा हुआ रहता है। न जाने कितने अरबों, खरबों रूपया खर्च किये जा रहे है। यहॉ पर हिरण, भालू,

सियार न जाने कितने जंगली जानवर थे। आज अगर कोई भी एक जानवर दिख जाये कि बता दे की इस क्षेत्र में मिला है। तो ये कहां गये। जब से ये प्रदूषण लगा। ये उद्योग गंदे लगे। इनके प्रदूषणों से, इनके भयावह आक्रमकता से, इनके जंगल की अवैध कटाईयों से वो भी विलुपत हो चुके है। महोदया से मैं निर्णय निवेदन करूगा कि जहॉ अरबो, खरबों रूपया लगाकर बोर्डो में दिखाया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण बन रहा है। बने हुऐ को प्राकृतिक रूप से जो यहां स्वच्छ थे। उनको खत्म क्यों किया जा रहा है। चल ये कहते है कि ये उद्योग लगेगे तो रोजगार मिलेगा। मेरे क्षेत्र में कम से कम सौ से डेढ़ सौं उद्योग लगे है। इस दस कि.मी. रायगढ़ से पन्द्रह कि.मी इधर एवं पन्द्रह कि.मी उधर भी मैं महोदया से निवेदन करना चाहुगॉ, कि इनका निर्णय इन कंपनियों से ले कि इस क्षेत्र के चारो ओर से जानकारी ले कि कितने बच्चों को रोजगार दिया गया है। जनसुनवाई के पहले ही उद्योगों के द्वारा कहा जाता है कि हम रोजगार देगे। मैं बड़ी–बड़ी कंपनियों का कि यहॉ के लोग ट्रेन्ड नहीं है। शिक्षित नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि ट्रेन्ड नहीं है तो मॉ के पेट से कोई बच्चा ट्रेन्ड हो के आय नही है। आप उनको कोई एसे कार्यशाला लगवाते है। कि आप बड़ी–बड़ी कंपनियों में उनको ट्रेनिग दिया जाये। उस समय इस क्षेत्र के लागों को और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाये तो आप उनको धंधा में लगाये। पहने आप उपको मजदूर के हिसाब से पैसा दी जिये। जब वो ट्रेन्ड हो जाये तब उनको पूरा पैस दी जिये। तो मैं इसका उत्तर भी महोदया से जानना चाहता हूँ। उद्योग धंधा लगने के पहले जो मेरे छोटे भाई मोनू ने बोला कि जनप्रतिनिधि एक पंचायत स्तर पर ही कितने जनप्रतिनिधि है। आठ–दस सदस्य, एक सरपंच एवं उप सरपंच, बारह, क्या ये बारह लोग एक हजार जनता को भागीदार होते है। इसका उत्तर भी महोदया से जानना चाहता हूँ। ऐसा जो भी निर्णय होता है। जो जनसभा, आमसभा, ग्रामसभा इससे कोई पारित नहीं होता है। मैं नहीं कहना चाहूगा की मेरा भाई भी हो सकता है। सरपंच एवं उपसरपंच होगा। लालच पैसा सबसे बड़ा भगवान है। उससे माध्यम से दस लोग हस्ताक्षर कर देने है। अज्ञानतावश जानते भी नहीं है। और उनकों लालच भी दिया जाता है। कि उनके क्षेत्र में ये विकास कर देगे, ये कर देगें, वो कर देगे। यहॉ काम धंधे दे देगें। लेकिन बाद में उन्हे लात मार के किनारे कर दिया जाता है। हटो तुम कौन हो हस्ताक्षर होने के बाद। सीधे कोई भी ऐसी प्रकिया है जो आम सभी में आम जनता के सामने उसका निर्णय ले। रोजगार कभी उपलब्ध नहीं होता है। अगर दबाव वश किसी से मैं अपनी खुद ही बताता हू। मेरा एक लड़का है। मैं उसके नौकरी के लिये विधायक महोदय से हस्ताक्षर कराकर मैं एक प्लांट वाले को दिया था। कि उसको रोजगार दे दिया जाये। खेती बाड़ी सब खत्म हो चुकी है। हमारे पास कुछ है नहीं। और हम किसी तरह का कुछ काम करने में सक्षम है। उस उद्योग ने पॉच दिन उस बच्चे को नौकरी में रखा और ऐसी जगह रखा जहॉ ट्रेन से ट्रेन वहा इंजीनियर भी काम कर सकता है। वहा उस जगह रखा ये छठवें दिन खत्म हो जाये। उस लड़के ने मेरे को बताया पापा मैं मर जाउगां। बेटा मैं ब्राहम्ण आदमी हूँ। मैं दस घर भीख मॉग कर चला लुगा। छोड़ ऐसी फैक्टरी की नौकरी और मैं अपने बच्चे को घर ले आया तो ये समस्याये होती है। कहने का तात्परय यह नहीं है कि मेरा बच्चे के आप कुछ करें। मेरा बच्चा है। मैं उसके लिये करने के लिये सक्षम हूँ करूगॉ। मैं इस क्षेत्र के पूरे बच्चों की बात कर रहा हूँ कि इस तहर उनके साथ धोखा दिया जाता है। न जाने इस फैक्ट्री ने भी हमारे जनप्रतिनिधियों को कितने भरोसा किया होगा और कितने दिलासा दिया होगा। कितना क्या–क्या बोला होगा कि ये कर देगे, वे कर देगे, ये हो गया आर्थिक रूप से किये होगे या दिये होगे। मैं साक्षात प्रमाण नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन गॉरेंटी के साथ कहता हूँ उन्होनें कई तरह की बाते कहा होगा लालच दिया होगा। कितना पैसा दिया होगा। तब जो के उन्होनें ने दस्तखत कर दिया जो भी कर दिया तो इसका आम जनता जो मर रही है या मरेगी। तो उसका क्या होगा। मेरा छोटा भाई 28 वर्ष का इसी

उद्योग धंधो की रेला पेलम में आकाल मृत्यु का ग्रास बना है। आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने या प्रशासनिक अफसरों ने क्या सहायता दिया गया है। मैने कई जिला के कलेक्टर के यहॉ, विधायक के यहॉ, सांसद के यहॉ हर जगह एप्लीकेशन दिया कि इस रेलम पेलम में के चलते मेरा छोटा भाई मर गया। उसके दो बच्चे है बीवी है। उनके कोई कमाने खाने वाले नहीं है और उनका जीवन यापन कैसे चले तत्कालीन तहसीलदार महोदय थे। नाम मुझे याद नहीं है। उन्होनें दो महीने के बाद आर्थिक मदद के वास्ते में तीस हजार रू. मात्र उस विधवा बहु को भेट किये गये थे। मैं उन महोदया से या प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि उस तीस हजार से आप लोगो का खर्चा चलता है। क्या इस जिला प्रशासन का दायित्व नहीं बनता था कि जिस अवैध रेलम पेलम से जिसका 10 टन है वो 20 टन लोड कर रहे है। जिसका 20 टन है वो 50 टन लोड कर रहे है। जो ऐसे वाहन चल रहे है। उनके द्वारा जो उसका अकाल मौत हुई तो उन उद्योग को द्वारा उनके बच्चों के भरण पोषण या पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज की सुविधा दिया जाता। ये मैं अकेले मेरे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में न जाने कितने लड़के मरे होगें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने भाई के लिये सक्षम हूँ। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। जाति से ब्राहम्ण हूँ और भीख मॉगना में काम है। आपके दरवाजा में ही आऊगा तो आप मना नहीं कर पायेगे। तो ये व्यवस्थाओं को कौन देखे गा। हमारा यह क्षेत्र कितना समाजिक रूप से कितना शांतमय क्षेत्र था। यहॉ किसी तरह का छिना झपटी मार पीटी या कहने में अपने आप को बोलने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ। जो यहॉ माताओं बहनों के साथ जो व्यवहार हो रहे है। समाजिक वातावरण जो माने प्रदूषित कर दिया गया है। ये उद्योग धंधों के दरिंद्रों के द्वारा लूट पाट, चोरी डकैती गेरवानी की ही बात कर रहा हूँ और अन्य जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ। इनका समाधान क्या शासन करेंगा या प्रशासन करने या उद्योग प्रतिनिधि करेगें। इसका भी जवाब मैं पीठासीन अधिकारी के जानना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की समस्या को लेकर बहुत विशेषज्ञयों ने कहां यहॉ दमा, टी.वी. कैंसर जो रोग कभी इस क्षेत्र में मेरे से बड़े बुजुर्ग लोग है जो बता दे की इस क्षेत्र में कभी भी ये रोग हुए थे। क्योकि ये तो इतना स्वच्छ हिमालय जैसे स्वच्छ वातावरण वाला क्षेत्र था पर आज की स्थिति ये है कि हर घर में हर गॉव में कम से कम तीस प्रतिशत लोग दमा, टी.वी. के शिकार है। स्क्रीन प्राबलम जिसको खुजली करते हैं। दाद खाज खुजली ये 80 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित है और बाकि क्या–क्या रोग होते है। उनकों मैं नहीं जानता हूँ। आये दिन सुनते रहता हूँ। यह हमारे पूरा अपना क्षेत्र लोगों का घर बन चुका है। इसका उन व्यक्तियों का जीवनयापन सुखदमय जीवनयापन किस तहर से होगा। इसका इसके लिये भी उपाय मैं मंचासीन अधिकारी महोदया से जानना चाहता हूँ। ऐसी हमारे क्षेत्र की नहीं पूरे भारत की अधुरी है। हमारे इस आस–पास क्षेत्र में गेरवानी इलाका, तराईमल, बंजारी जो ये आठ–दस गॉव हैं। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि साग–सब्जी व दूध इसी पर जीवनयापन चलता था। जो दोनों खत्म हो चुके है। क्यो जंगल में घास नहीं। खाली कोयले का डस्ट है और फसल में कोयले का डस्ट इत्यादि के पड़ने से पूरी कृषि खत्म हो चुकी है। धन्य है। जो एक रू. में चावल दे रहे है। नहीं इस क्षेत्र की हमारी जनता भुखों में तड़प कर मर जाती। गिने चुने दो चार लोग है वो बचते है। आम जनता का काई भोजन के लिये भी कोई नहीं है। क्योकि जो पहले खेत, बड़े–बड़े गोटिया थे। खेती करते थें उनके यहॉ मजदूरी करते थे। साल में चार एवं छः महीना मजदूरी में पेट चल जाता था। चार छः महीना ये जंगलो से आपका महुआ, तेंदु, चार, चिरोंजी पत्ता इत्यादि को तोड़ बिन करके जीवन यापन चल जाता था। ये दोनों खत्म हो चुके। और उद्योग वाले रोजगार यहॉ के लोगों को देते नहीं। अब वो जनता क्या करे। इसका भी उपाय पीठासीन अधिकारी से जानना चाहूँगा। इसके बाद हमारे इस क्षेत्र में कितने उद्योग धंधों में होने के बाद किसी भी उद्योग धंधों के द्वारा यहॉ पर जो कि हम साधारण गरीब लोगों के बच्चे पड़ सके ऐसा स्कूल का निर्माण

नहीं किया गया है। क्योकि वो चाहते है कि इस क्षेत्र के लोग जैसे थे। वैसे ही बने रहे। अगर वो लो अच्छी शिक्षा का विकास किये होते आने वाले नवयुवक है। वो पढ़े लिखे होते। अपनी बातो को बोल सकते, रख सकते और नौकरी धंधों के आवेदन कर सकते। लेकिन हमारे उद्योग धंधों के द्वारा की शिक्षित करने का कार्य नही किया गया है। हो सकता है कोई इनका एक फंड होता है। उसका उपयोग सी.आर. या आई.आर. तो उसका उपयोग रायपुर या दिल्ली और कलकत्ता में होता है। हमारे इस क्षेत्र के दस से पन्द्रह कि.मी. में नहीं होगा। या तो होगा तो रायगढ़ में स्टेडियम बनेगा या रायगढ़ में तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। रायगढ़ की रोड़ों का सौंदर्यीकरण होगा यहॉ के पैसों से धुल डस्ट, जल, जंगल हमारी है। शोषण हमारा विकास वहां बड़े-बड़े उद्योग प्रतिनिधियों का एवं व्यापारियों का। किसी लाखा, गेरवानी, बंजारी तराईमल को विकास करों तो सुंदर रोड बनाओ। यहॉ सुंदर तालाब का सौंदर्यीकरण करों। यहॉ स्वास्थ्य का हास्पिटल बनाओं। या यहॉ के बच्चें को शिक्षित करने के लिये करें। हमारे जिंदल के द्वारा एक नलवा में स्कूल चलाया जा रहा है। लेकिन जानते है। मेरे जैसा व्यक्ति देख भी नहीं सकता। देख नहीं सकता। उसके अंदर जा नहीं सकता। क्योकिं उतनी फीस है जो पचास हजार से ऊपर कमाता होगा उसी का बच्चा पड़ सकता होगा। अरे जो पहले से पचास हजार कमाता है तो उसके लिये सहयोग करने के लिये क्या जरूरत है। जो बेचार पचास हजार नही कमाता उसका सहयोग करो। उसको आगे बढ़ाओं। तब न संसार का विकास होगा। तो उन गरीब लोगों को कैसे उधार होगा। इसका भी उत्तर मैं हमारे मंचासीन अधिकारी से जानना चाहूँगा। इस तहर मैं कहा तक बताऊ हमारे उद्योग धंधाओं के द्वारा बहुत सारी बातो का शुरू में प्रलोभन दिया जाता है और वो उसी तरह राजनीतिक पार्टी के जैसे फिर गोल हो जाते है। अपना काम हुआ और काम खत्म। तो जो प्रशासन एवं शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी है। मैं उनसे पुनः निवेदन करूगा कि जिस क्षेत्र में जो भी उद्योग लगे उस उद्योग पर कड़ी निगरानी करते हुए उनकी बातों को अच्छा पालन करनवाने में करने का जवाबदारी आपकी है। उस कार्य को भी रहा देखने का कष्ट करें। इस तरह से गिनती गिनाने लगू तो कल तक भी बोलता रहूँ। पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योकि मैं एक नहीं मैं साठ से सत्तर जनसुनवाई देख चुका हूँ। पर उसका कोई हमारे जैसे लोगों की बातो का हो सकता हों हमारी बातों का लिखा पढ़ाई न हो और समर्थन वालो का विडियों फ्रेमिंग बनके पहुच जायेगा। मै जानता हूँ मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा। उस उद्योग पर शासन एवं प्रशासन पर किसी न किसी को नीव का ईट बनाना होगा। किसी न किसी को चिंगारी का रूप देना होगा। ये चिंगारी कभी न कभी आग बनके भड़केगी। आप देख लीजिये बड़े से बड़े प्लांट बंगाल वैगरा में नैनों प्लांट लगा था। जब वहां की जनता जागृति हुई। तो उसको छोड़ के भगना पड़ा। उड़ीसों अगर वहां की आम जनता में शासन करने है तो वो लोग ड़डा लेकर उनको मार के सुधार देते है। यही पर पतरापाली पूर्व में जनसुनवाई हुआ था। लेकिन उन क्षेत्र की जनता जागृति हुई आज तक उसका प्लांट नहीं लगा है। आप पता कर लेना। इस क्षेत्र की जनता भोली है। अशिक्षित है और एकदम सरल है उसका शोषण कर रहा है। पर पर्वत हुई अब तो पिघलनी चाहिए। जब लागो की सहन क्षमता से बड़ी जो जायेगी। तो यहॉ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उस समय शासन प्रशासन पर शायद उस समय हो सकता है। कि कभी याद रखे कि कोई व्यक्ति बोला था। किन इस समस्यों पर सुधार किया जाना अनिवार्य है और मैं पर्यावरण विभाग के अपने बड़े भाई को प्रणाम करता हूं। शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि दसों बार मैं कई जगहों की के फ्लाई ऐश द्वारा पाटने का डेम के अंदर पाटे हुए का भी लिखित रूप से मैं दिया था। जो आज भी मेरे पास आवेदन पड़े है। लोक सुराज अभियान में मैं न जाने कितने आवेदन दिया हूँ। कि उद्योगों से ये समस्या है। जो बाते मै यहॉ बोलने में नहीं आती है। मुझे लिखने में आती है तो वो लिखित मै दे चुका हूँ। लेकिन इन्ही में सरपंचों के साईन थे। इसलिये वो हो गया। वो

अंकित नहीं किया गया है। उसमें लिखा है कि आस–पास के रहने वासियों में यूपी, बिहार और झारखण्ड से आये हुए लोग रहते है। मैं इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में देखा हूं। आप देख सकते है। क्या मैं ये मान लू कि आगे चल के जो समय आने वाला है वो होगा कृषि सरनाथीय संकट बहुत बड़ा संकट ऊभर के आने वाला है। और जिसके लिये माननीय पर्यावरण अधिकारी से भी अनुरोध करूगा कि इन बातो को संज्ञान में लेवे और मुझे तलब करे कि कृषि सरनाथीय आगे चल के संकट आने वाला है। उसका मुख्य रूप से जवाबदार कौन होगा। प्रत्यक्ष रूप से ये लिखा है। यहॉ के रहवासी रहने वाले है। या तो यूपी, बिहार और झारखण्ड मतलब यहॉ के लोग पलायन कर चुके है। पलायन की प्रक्रिया में जो संकट आने वाला है। कृषि को संकट आने वाला है। ये कृषि का संकट है। आज आप जहां देखे के 1940 के बाद चाहे वो प्रशासनिक जगह की बात करू या कोई प्रध्यापक जगह की बात करू या शिक्षा जगत की बात करू तो उन समस्त लोगो के जीवन शैली में और उनके तन्ख्वा पे 100 रू का उचित चलान हुआ है। जिसके कारण आज कोई रू. 40,000 या रू. 45,000 का वेतन पा रहा है और उस मूल्य के हिसाब से हमारे कृषि भाईयों के देखा जाये तो 100 का 100 गुणा करें या 500 का 500 गुणा करे तो कितना होना चाहिए जो कि हर किसी को पता होगा। मात्र 1200 रू में आके अटक चुका है। कही न कही इस प्लांट के द्वारा आज लिखा जा रहा है कि जो यहा स्लैग डंप होगा। मैं आपसे पूछना चाहूगा कि सड़को को चौडी करेगें। किन सकड़ो करेगें। इसके पहले भी यहॉ जो निम्न प्लांट लगे है। जो आज तक क्या चौड़ा नहीं कर पाये। अगर चौड़ा किये है तो तमाम कुलंकित है। जिनके बारे में लोगों ने लिखा था कि गेरवानी में निरंतर चक्काजाम हो रहा है। तब यहॉ के जन प्रतिनिधि जिसमें माननीय हमारे अशोक अग्रवाल जी भी है। हमारे वरिष्ठ जिन्हो ने कई बार कहा है। कि प्रशासन को चेतावनी दी थीं कि गेरवानी वाला प्लांट जो अंदर की ओर जा रहा है। उस रोड की मरम्मत कराई जाए। ये जो जल छिड़काव की बात करते है। आज इनकी दोहण प्रणाली थी। आज जो वरिष्ठ आटो चालाको का काम है। मैं उनको दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। कुछ फोटो ग्राफ्स मेरे पास है जिनके जानवरो की श्रेणी में हमारे यहॉ के वोटरो को लाया जा रहा है। क्योकि वोटरो की जरूरत है। लोगों को पैसा पहुचाये थे। जिस श्रेणी में ढोके ला गया मैम अगर आपके पास बाहर पुलिस बल हो तो उसे अंकित कराना चाहिए। आटो में मुस्किल 20 –20 लोगों को भर भर के लाया गया है। जो कि जघन्य अपराध है। गाय को आप 04 से ज्यादा संख्या में नही ला सकते है। पर इन्होंने 20 प्राणियों को लाने का प्रतिज्ञाबद्ध काम किया गया है। वो काबिले तारिफ है। दूसरी बात मै ये बात बताना चाहूगा कि जैसे कि मेरे एक पूर्व मित्र ने कहा कि जहा उद्योगो का साउण्ड है। इसके लिये साउण्ड को नियंत्रण करेगे। मैं चाहता हूँ कि आधूनिकीकरण की बात करें। हॉलाकि उनको पता है। कि कैसे लोग लुभावन बर्फ के गोले देकर या आम ग्रामिणों के जुगनों को अपने पास रखा है। सूर्य की तपती आग की ज्वाला में जगाना है। या जलाना है। तो क्या इतना मेंशन नही कर सकते थे। जो कि साउण्ड की प्रक्रिया है। शिक्षा जगत में एक पूर्ण रूप से पढ़ाई के समय में मन भ्रमित हो जाता है। इनके द्वारा साउण्ड बहुतुल्य नहीं बनाया जा सकता है। और अगर बनाया जा सकता है तो इनके ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्यों नहीं है। आज ये बात करते है कि केलो नदी का जल स्तर पर्याप्त है। ये बाहर से आये हुए लोग ये बोले कि केलो नदी का जल स्तर पर्याप्त है। तो मैं क्षमा चाहूगा कि इस बदनामी कलक के शिवा कुछ नहीं होगा क्योकि मेरे कृषि भाईयों के रवी फसल के प्रमाण नही ले पा रहे है। ये लोग कहते है कि यहां का वाटर लेबल बहुत है। क्षमा चाहूगा कि किसी ई.आई.ए. रिपोर्ट में ये नहीं होता है। कि जहा से केलो नदी का उद्गम हो रहा है। जब हमारे पास पर्याप्त धनराशि हो जायेगी कि हमारा सी.एस.आर. हो जायेगा तो उस स्थल को उद्गम पर्यावरण स्थल में परिवर्तित करगे और ये कुछ–कुछ को हमारे लोगो के बीच में दरीद्रता फैलाते है। उद्योग से दलिद्रता आती है, या इन लोगो ने

दरिद्रता फैलाई है। क्योकि इन लोगों ने आश्वासन दिया ये अपने ही क्षेत्र में अनाथलय एवं वृद्धा आश्रम खोलना चाहते है। इनके ई.आई.ए रिपोट में लिखा होता है। इनकी इस मानसिकता से पता चलता है। कितने उच्च विचार के है। जिन लोगों की प्रथम मानसिकता है। मेरे बसेबुसे ग्राम में किसी एक की मृत्यु उपरांत पूरे गॉव में सन्नाटा छा जाता है। वहा के अलगाववाद लाने की पुष्टिकरण लाने के बाद इन लोगों की मानसिकता हैं कि वहॉ पे अनाथलय एवं वृद्धा आश्रम खोला जायेगा। जहा पे एक गॉव में किसी को बहिस्कृत कर दिया जाय तो पूरा गॉव एक जूट हो के एक योग होके बाहर आता है। और उसके न्याय के लिय रायगढ़ में जाकर गोहरा लगाता है। अगर वहा इन लोगो का स्वपन है कि वहां जा के ये अनाथलय ओर वृद्धा आश्रम बनायेगे। तो इनकी सोच निम्न है सारी। शायद उनको घर बनाना चाहिए। केलो नदी मेरी मॉ है। इसका पानी को मै स्तनपान के लिया है। अगर आज इनका वाटर लेवल पूर्ण नहीं है। वो वॉटर लेबल है हमारे किसानों के लिए ये लो कर्ज दान ही है। ये खुदारिया इनके में नहीं है कि ये कुछ भी बता सकें कि हमारे किसानों के हक को नही जा पाया मैडम पानी का लेबल ऊपर है खेती की अनुमति दे दी जाए। ये जो इ.आई.ए बनाने वाले सर्वागीण है। इनसे पुछना चाहूंगा कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जो कि युवा है। ये जो उनके प्रायमरी सेंटर की रिपोट में जो समिट मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसमें अटैच किये है उसमे सिलकौशिस का वरणन नहीं है। आप भी देखिये गा दो जगह ऐसी है 2013 और 2014 में जहा पैन से ओव्हर राईटिग की गई है और वो भी ऐसी जगह पे ओव्हर राईटिग की गई हैं कि जैसे जॉच के लिये मुख्य लोग आये थें। उनके आकड़ो में फेरबल की गई है। यह एक जघन्य अपराध है। जिसके लिये ये सजा के पात्र है। अगर ऐसी ओव्हर राईटिग सरकारी दस्तावेज में हुई है। तो माननीय देव सहाब है। जिनका हस्ताक्षर है। उनका नाम देव लिखा था। जो प्राईमरी हेल्थ चिकित्सा निलबंन तत्काल रूप से किया जाये। तभी कड़ी कार्यवाही किया जाये। दूसरा कृषि जगत के युवा है इन लोगो के द्वारा कभी भी ये जो आप को बुला के उपकरण बाटते है। बाटने के द्वारा कोई स्केल कैप लगाया जाता है। ये लायक नहीं ये लायक नहीं है या आप लायक नहीं है। आप आने में लेट कर दिया। उस गेरवानी के नवरत्न भी कोख में जो नवरत्न पनपते है। जो पूरा समझे की भूल जो ये कर रहे है। बाहर से जो लोगों को ले के आ रहे है। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले भी यही किया है। वो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यूपी, बिहार और बनारस के लोग यहा आके बसे हुए है। जो यहॉ रायगढ़ के लोग होने चाहिए थे। जिसका हम विरोध करने हा रहे है। स्टेशन में आप जा के देखे गे साउथ बिहार से लेकर गोडवान में देखते हैं कि यहा के लोग पलायन कर रहे है। उसके बाद मै आना चाहूगा पशुधन पे जो किसान अपने कल तक पशुवों को ही अपना धन मानता था। आज क्यों अपने पशु को बेचना पड़ रहा है। कही न कही जो आधुनिकारण की विस्तारिकीकरण की मॉग कर रहे है। बहुत ही खुसकिसम होती है जो विस्तारिकरण की मॉग को ले के किसान आता और वो बोलता कि मुझे कृषि भूमि का विस्तार करना है और हम 5 एवं 6 गॉव में एक साथ 5000 एकड़ जमीन में कृषक होगे और कृषि का काम करेगे। पर ये लोग विस्तारिकरण की मॉग को ले रहे है। ऐसी क्या समस्या आती है या इनके प्रशासनिक अमला एक जूट हो जाता है। और तैयार हो जाते है। पूरा महकमा एक कोशिश में लग जाता है कि चीज को चाहो तो पूरी संदर्भ में काम होता है। संयम के दम पर से काम कर रहे है। मै स्पष्ट तौर पर ये चीज बताना चाहूगा कि जो गांधी जी ने इनके लिये कुछ शब्द करे थे पर शायद इन लोगो ने नाथू राम गोडसे की पक्ति के साथ उसको जोड़ दिया। गांधी जी ने ये कहा था कि आजादी का मतलब नहीं मित्रों जब तक आजादी में गलती करने आजादी नहीं और हमारे छत्तीसगढ़ की गेरवानी में रायगढ़ की जनता बार–बार इनकी गलतियों को दर किनार करते हुए इन्हों ने हमे काला धुऑ दिया। यह सहमति थी। इन्होने गॉव उजाड़े सहमति दी। झोपडिया तोड़ी सहमति दीं। शिक्षा के क्षेत्र में पलायन कर रहे बच्चे मै उनकी बात जानना

चाहुगा। पर्यावरण अधिकारी जी से कि इनके ई.आई.ए. रिपोर्ट में मेंशन कराये कि ये जो कहते है कि नहीं है। उसके सबसे बड़े जवाबदार ये है। क्योकि इनके निर्णायक रूप से इनके इ.आई.ए. रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। कि ये बच्चा जो शिक्षा को बीच में छोड़ गया है। या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चा आठवी के बाद पलायन कर लेता है। या उसका पढ़ाई बाधित हो जाता है। वो बच्चा कल को नौकरी मांगने जाता है तो इन्ही लोगों के द्वारा कहा जाता है कि तुम निर्णायक नहीं हो। अगर वैसे उनके पास रिकार्ड होता और शाला परित्यागि बच्चों की सूची इनके पास होती तो उन बच्चो को पढ़ाया जा सकता था। उनके कौशल विकास की तैयारी की जा सकती थी। जो हमारा राज़कोश होता। रिव्युनिव होता। जिसका मुख्य तौर पे हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय प्रशासन को पर्याप्त फायदा पहुचता। हम कही भी उद्योग में नहीं है। मै आपको यह बताया चाहूगा महोदया जितने भी लागे यहा बैठे है। कि एक अच्छा जूता पहन के सड़क में चल सकते है। हर किसी पे संभव है। एक तप्ती धुप में, तप्ती कृष्ट में कीचड़ में हमारे पास एक अच्छा जूता हो। तो इस धरती पे हम चल सकते है। बहुत खेद के साथ कहना चाहूंगा। मैं एक अच्छे जूते के अंदर कंकड हो तो हम अच्छे जमीन में नहीं चल सकते है और वे वही लोग है। जो हमारे जूते के अंदर कंकड़ पैदा कर रहे है। ये उस तिलिस्म को प्रयास करते है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, इन्ही के हाथों में शक्ति है और इन्ही के हाथों में तरक्की हैं और बाकि में। मै इनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आगे चल के ये शपथ पर देगे जेई, पीएटी या माध्यमिक शालाओं से निकलेगा, तमनार की गलियों से निकलेगा उनकी नौकरी की क्या व्यवस्था करेंगे। क्या इनके द्वारा आउट सोर्सिग की जाती है तो क्या इनको नोटिस दिया जाता है। ये जो आप इनके द्वारा किया जाता है। कि 95 कि.ग्राम पानी लेगे। और हमारे लिये बहुत पानी पर्याप्त है। तो इनके पास नौकरी पर्याप्त है। आप उस नौकरी को क्यो लेना नहीं चाहते। इस समस्त चीजों का मैं सवाल जवाब जानना चाहूगॉ महोदया से इन लोगों ने 70 प्रतिशत खुले में शौच की बात किया है क्या ये लोग जागरूक लोग है जिन्हों ने जुर्माना लिया गया है। यही के ऐसे लोग कि किडनी खराब होने बाद भी वे लोग स्कूल में पड़ाते हें। अगर ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं कर सकते है। महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करने तो किसी भी रूप से विस्तारीकरण का कोई जरूरत नहीं है। क्योकि उन्होंने उद्योग नहीं उद्यम मचाया गया उद्यम का अंत प्रशासन द्वारा किया जायेगा। इन उद्योग में गुण्डा राज एक तरफा राज लाने की कोशिश की गई है। जिसमें आप पितामह बन के कृपा इनके समस्त नितियों को देखे कही न कही ये होगा कि कही अलगाववाद कसबाई इलाका है। इन्हों ने लिखा है है कि कसबाई इलाका है। तो इस कसबाई इलाके में अशांति फैले ओर हम चाहेगें कि यहॉ के छात्रों के लिए जो परित्यागि बच्चे है उनके लिए यहॉ की महिलाए है उनके लिए और जैसा की कहा गया जो लोगो का एक्सीडेंट होता है परित्यागि बच्चे है जो शाला में पढ़ रहे है उनका एक्सीडेंट होता है ओर जो भी बिल्टी आयेगी। उसके लिए घूर्ण तौर पर गौर करे कि उस बच्चो को 50 रू. काट के रखे रिर्जव फंड में रहे और जो प्रशासन के द्वारा प्रदाय किया जाये। एक बात की जानकारी और जानना चाहूंगा कि स्पंज जा रहा है जो उनको रामटेरियल के तौर पर जा रहा है। तो यहॉ बैठा है उनका अधिकारी मुझे बताये कि कितना डिस्टेन्स करने यहॉ पहुचेगा। मैं इनसे जानना चाहूगा। अगर वह 500 कि.मी. से ज्यादा होगी तो मै आपसे शपथ पत्र समस्त लोगों के द्वारा लेना चाहूगा। गाड़ी वालों एवं गाड़ी मालिकों से एक शपथ पत्र ले जिसमें दो ड्राइवर होना अनिवार्य हो। क्योकि माननीय सुप्रीम कोट ने भी यह कहा है। कि अगर 500 कि.मी. से ज्यादा किसी भी वाहन में माल ढुलाई की जाती है। तो उसमें दो ड्राईवर होना अनिवार्य है। क्योकि इसमें जो मैम स्पंज आयन आयेगा तो उसको खुले में आने से उससे ब्लड कैंसर होने ज्यादा चांसेस है। और ये जो बड़े–बड़े वादे कर रहे है। जो इन्हों ने चंदन रूपी आई से लिख दिया है कि इतिहास लिखते है कि ओव्हर लोड नहीं होगा। स्पंज त्रिपालढ़क आयेगा। आज

ऐसा रहता तो शायद ये लोग विरोध में न होते और वो न हम बोलते और न ही सुनते। न उद्घघोषणा का मंच यहा पर होता। तो हम चाहेगें की उसके लिए भी शपथ पत्र दे कि अगर एक भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उनके प्लांट की गाड़ी हो तो ये स्पंज आयरन का उपयोग बंद कर देगे। कही न कही अच्छी टेकनॉलाजी और पैरे भूसे का उपयोग करते है। ये कोई पर्यावरण की सहमति और समर्थन के लिए नहीं करते ये बात किसी से नही छुपी है कि ये सब के सब सिर्फ सिफ सब्सीडी पाने के लिए उन चीजे का उपयोग करते है। सब्सीडी के उपरांत इनका इन चीजों से कोई वास्तता नहीं होता। तो इन चीजों को कंटीनिअस मॉनिटरिंग की जायें हमें उद्योगो से हाथ मिलाने में कोई तकलीफ नहीं है। क्योकि कल को रोजगार हमें मिलना चाहिए। अगर इनके हाथों में जनजीवन होगा तो शायद अपराध से रायगढ़ कभी हाथ मिलाया न कभी आगे मिलायेगा। धन्यवाद।

540. श्रीमती चमेली सिदार, जनपद सदस्य गेरवानी क्षेत्र – मैं यहॉ दो घंटे से बैठे देख रही थी। कि लोकजनसुनवाई होता क्या है। मेरे कार्यकाल में ये प्रथम जनसुनवाई है। देख रही थी वक्ताओं ने अपने बात रख दिये। अच्छी बात है। सब बोलने की स्वतंत्रता है। उद्योग लगे और कुटीर उद्योग से हमे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जैसे की अभी पूर्व वक्ता ने कहा की आप सुंदर सड़क पे चलो तो आपके पैर में कंकड़ आ जाती है। तो कैसा लगता है। यह सही बात है। परन्तु मैं मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड की विश्वश सुत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि हमारा ग्राम गेरवानी प्रभावित क्षेत्र है। और हमारे स्थल पर ये उद्योग प्लांट विस्तार हो रहा है। आज हमारा गेरवानी 95 प्रतिशत उद्योगों पर आश्रित है। आप पता कर सकते है। किसी के क्षेत्र में 5 प्रतिशित लोग कृषि करते होगें। सारे चन्द्राहासिनी हो या गायत्री जितने भी आस पास के उद्योग है। सारे उद्योगों में कार्यरत आज जो विकास हो रहा है। उद्योगों के माध्यम से हो रहा है। जहॉ विकास होता हैं। विनाश भी होता है। आप सक्षम अधिकारी है। जहा गलत होता है वहा आपकी नजरे वहा होनी चाहिए। जो विनाश की ओर जा रहे है। उसमें आप लोग कड़ी कार्यवाही करें रही है। कि इस प्रकार का न हो। सुविधा देना आपका काम बनता है। सबका साथ ओर सब का विकास मैं एक जन प्रतिनिधि हु। 5000 जनता के बीच से चुन का आई हूँ और यहॉ जब मैं यहा आई 02घंटे में 400 लोग समर्थन दे चुके है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस ओर जनता का झुकाव रहेगा मैं उसी की ओर समर्थन करूगी। मैं अपना समर्थन देती हूँ।

541. श्रीमती भानुमति सिदार, गेरवानी – उद्योग को समर्थन देती हूँ।

542. कु. बसंती राजपूत, गेरवानी – उद्योग को समर्थन देती हूँ।

543. श्रीमती रसना महंत , गेरवानी से – उद्योग को समर्थन देती हूँ।

544. श्रीमती गुलाबमती कवर , गेरवानी से – उद्योग को समर्थन देती हूँ।

545. नरसिह निर्मलकर, तराईमाल – इस पूर्व प्रकाश महाराज जी इसे ऊपर एक और भाई जो अंत में बोले जो सच ही और सही बोले है। जनसुनवाई करते समय हर प्रलोभन हर लालसा चीज देने के लिये ये लोग तैयार हो जाते है। जब ये जन सुनवाई समाप्त हो जाता है तो ये सब चीज भुल जाते है। अभी आप लोग कोई रायगढ़ से या कोई घरघोड़ा से कोई तमनार से आये होगे। आपको आते वक्त पता चला होगा की आपके आखों में डस्ट का धुल पड़ा होगा। शायद आपने नमक खाया होगा तो नहीं बतायेगे। नहीं खाये होगे तो बता देगे। कितना डस्ट और कितना धुल उठता है। ये लोग जितना बोलते है कि ये लोग जनसुनवाई के बाद में जितना वादा किये रहते है। कुछ नहीं करते है। अभी देखिये कितना काला डस्ट उड़ रहा है। थोड़ी प्रदूषण, डस्ट प्रदूषण, वायु प्रदूषण कितना प्रदूषण हम ग्रामवासी झेल रहे है। हमी लोग जान रहे है। यकीन नही होता है। बंजारी मंदिर मे एक राउण्ड घुम के जाईये और नंगे पैर जाईये काला–काला आपके पैर में लग जायेगा। कम से कम आप लोग इतना अधिकारी लोग है। ठीक है प्लांट

देगें तो तु जा पहुचाने के लिए। मैं छोडकर जा रहा हूँ बच्चे लागों को एक ऐसी ही किया एक बार छोड़कर आ भी गया। और टीचर को फोन कर दिया तुम्हारे गेट कीपर ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं बिना चप्पल का रहता हूँ, बिना हेल्मेअ का रहता हूँ। तराईमाल में मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। गार्ड में बाहर आया और मुझे मारा भी दो डंडा और वो हट भी गया की क्यो मुझे रोक दिया है। मार दिया मैं सब से सामने बोल रहा हूँ मैं जन सुनवाई के समय हर चीज का वादा करते है। तुम्हारे लिए ये फ्री रहेगा। आपके लिए ये कर देगे वे कर देगे। लेकिन देखों अभी तक नलवा गेट से पानी सिचाई करता है। नलवा गेट से इधर नहीं करता है। ग्राम बंजारी तक करता है। कोन प्लांट वाले बिलकुल नहीं करते नाम मुझे मालूम नहीं है। बीच का जगह मेरा है। बस स्टैण्ड से बास बंजारी में छोटा सा मेरा दुकान है रोड ऊपर में इतना डस्ट है इतना डस्ट है क्या बताये। तो मै आप सब लोगों से निवेदन करना हूँ कि कम से कम सभी चीज का सहयोग देते हो। पानी को 08 बजे एक बार 12 बजे एक बार 04 बजे एक बार तीन टाईम पानी मरवा दी जिये। ताकि ग्राम तराईमाल में हम लोग डस्ट से बच सकें दमा खासी से बच जाये। बाकि लोग आप तो बचे है। पाकिट फुल गरम है हम तो नरम है। हम तो पड़े रहेगे। इससे हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। जैसे जी लेगे। दूसरी बात खेती का चला गया हमने खेती बेच दिया। लेकिन हमको नौकरी नहीं दिया है। जाते है तो गेट पास लाओ, गेट के अंदर नहीं घुस पाओं, हेल्मेट लाओ अच्छा हमने तुमको जमीन दे दिया जमीन के मालिक बन गया हमी से गेट पास मंगता है। हम कहा से लाये काम नहीं करते कहा से हेल्मेट लाये। फिर जब ये उसका मालिक मैनेजर हमको जानात है तो वो उसको बोलता है। फलाने गॉव फलाना आया है। आने दो। फिर हम जाते है। भैया हमको चंदा चाहिए दुर्गा के लिए, सरस्वती के लिए, समलेश्वरी के लिए हॉ ठीक ठीक है ले जाओं। तो कितना देगा। दुसरा जगह है जो तमनार को देगा 5000 रू. और तराईमाल को देगा 1000 रू ऐसी ऐसी इनका नियम है। फिर भी कोई बात नहीं हम तो सक्षम है। हमने प्रस्तुत कर लिये और प्रस्तुत करवा लिये। जनसुनवाई के समय वादा तो कर दिये होता है। लेकिन बाद में तो वो बिल्कुल मुकर जाते है। जो हमारे शर्मा जी बोले कितना सही प्रकार से बोले है एक दम सही बोले है। एक दम सच बोले है। कोई इस स्कूल में पढ़ायेगा तो सक्षम आदमी ही पढ़ा पायेगा। जो पढ़ा पायेगा तो 50,000रू. वाला ही पढ़ा पायेगा। हम तो कृषि मजदूर है। हम लोगों के पास पाबंदी है। मेरा नतानिन का निशुल्क लग गया है नाती का शुल्क लगता है। वो ले दे के चल रहा है। इसी प्रकार से जो ये प्लांट है चन्द्रहासिनी देखे नहीं जानते भी नहीं है। बोर्ड में पड़ के बता रहा हूँ। इनको भी आप सतर्क दे दी जिये की पानी समय में सिंचाई करें। समय में जिसका जमीन है उसको नौकरी दे देवे। ताकि आने वाला पीढ़ी नुकसान न रहे। हम लोग भुगत रहे है तो भुगत रहे है। आने वाले पीढ़ी को तकलीफ न सताये। उनको दुख न दे दर्द न दे। और हम ये भी बोला था कि ग्राम तराईमाल में हर हफ्ता मेडिसीन जायेगा और फ्री में दवा बाटेगा। मैं देख रहा हूँ आज 5 साल हो गया कभी कभी नलवा वाले किसी किसी पर्व मनाने जाते है। तब जो के दवा वितरण करता है। इसी तरह तराईमाल में दवा भी बटवाईए दमा है खासी है। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कम से कम हम लोग अनपढ़ गवार छत्तीसगढ़िया आदमी है। क्या डस्ट है। क्या खाना है। क्या टीवी है। क्या दमा है। हम जानते नहीं है। खासी है तो खासी का दे दो दवा, बुखार है तो बुखार का दे दो दवा, कम से कम एक सप्ताह में या नहीं तो 15 दिन तराईमाल गॉव में कोई भी प्लांट से कहिए वो दवा बटवाये। पानी सिंचाई करें। समय समय में जो आते है दिल्ली से पर्यावरण अपना बोर्ड लगाते है छत उपर में लगाते है। काला–काला रहता है। जब ये जाते है तो व्हाईट रहता है। लिखित में हमको रिपोर्ट दो तो आफिस में चलो। ठीक है भैया। उनको पैसा मिल जायेगा अटैचि में। जा खा लेना हमारा श्राप आपको लग गया। हम खा रहे डस्ट तु खा नोट । हम भोग रहे है तकलीफ जा ऐस कर। जा हमारा

श्राप लग जायेगा। भैया लोग आप लोग शहर के है कोई दिल्ली, आप लोग स्वच्छ है बढ़िया है। हम लोग जो भुक्तभोगी है। अभी बंजारी मंदिर जा के दे ली जिये कितने डस्ट या कितने काला है। यहॉ के अधिकारी लोगों को जाना चाहिए। मैं पहली बात यह पुछना चाहता हूॅ। गेरवानी क्षेत्र का चन्द्रहासिनी पंचायत का लेकिन तराईमाल में ये कैसी जनसुनवाई हुआ। तराईमाल वाले अनपढ़ है। हॉ भैया समर्थन दे दिया। इसीलिये बंजारी में न कराकर हर प्लांट वाले तराईमाल के जनसुनवाई करते है। लेकिन जिस पंचायत का है। सर्व पदाधिकारी के निवेदन करना चाहता हूॅ। जिस पंचायत का है उस पंचायत में जन सुनवाई का आदेश दे वहीं से करवायें। हमारे पंचायत में तो बहुत हो गया बहुत, हम हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, भोग रहे हैं, दंड पा रहे हैं, परेशान हैं। अभी मेरे को काफी बीमार हैं मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। अब ज्यादा एक घंटा बोल दूंगा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या बोंलूं, तो मैं जो पदाधिकारी हैं, सब अधिकारी से मेरा कोटि–कोटि निवेदन है कि हमारे गांव में कम से कम 3 बार, आपसे निवेदन करता हूं कि 3 बार पानी सिंचवाइये रोड में 8 बजे एक बार, 12 बजे एक बार और 4 बजे एक बार। बाकी हम भी चाहते यदि दवा उपलब्ध करा दें, कम से कम एक महीने में एक बार दवा का प्रयोग करा दीजिए। किसी को खांसी, बुखार, सर्दी होता है, सब हमारे साल से वंचित रह गए, तेंदूपत्ता से वंचित रह गए, डोरी महुआ से वंचित रह गए तो कम से कम प्लांट के माध्यम से फ्री में हमको दवा मिल जाए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बस इसी का आप लोगों से कोटि कोटि निवेदन है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं तो समर्थन नहीं दे रहा हूं न मैं विरोध मैं कर रहा हूं। मेरा ख्याल है आप लोगों को समस्या के बारे में बता रहा हूं। जय हिन्द, जय भारत। बोलिये बंजारी माता की जय।

546. कृष्णा बघेल, लाखा – मैं पहले गेरवानी में रहता था। डेम हुआ तो डेम के कारण मेरा मकान आ गया तो ग्राम पंचायत लाखा में रह रहा हूं। आज मैं सुबह टहलने के लिए निकला सुबह, टहलते हुए देखा कि सब महिलाएं कार में जा रही हैं तो एक महिला से पूछा कि क्या हुआ। ऐसी जा रही हैं। बता नहीं पाए मैं ड्रायवर को पूछा क्या हुआ, कहां जा रहे हैं सब, बोले बंजारी माता का मंदिर है वहां पे जा रहे हैं। वहां पे कोई चन्द्रहासिनी इस्पात का जन सुनवाई हो रहा है। मैं बोला, ऐसा क्या है। फिर मैं पूछा उन लोगों से। वो लोग बोले हम लोग जा रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं जन सुनवाई में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा यहां का समस्या वो लोग बोल रहे हैं हां, फिर मैंने पूछा कौन ले जा रहा है, वो लोग बोले कोई साहू है जो चंद्रहासिनी इस्पात में ठेकेदार हैं। कौन साहू है मेरे को नहीं पता। मैं ऐसे ही टहलते हुए गया तो पूछा साहू है तो क्यों जा रहे हो आप लोग तो बोलते हैं नही हम लोगों को कुछ देंगे 200 रूपए। और वहां पे हमको बोलना है बस चन्द्रहासिनी इस्पात का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कर कर के मैं आंखों के सामने कम से कम 5 जो बोलेरो होते हैं उस बोलेरो में आए। ऐसा मेरे को भी नहीं पता क्योंकि मैं काम करने वाला लड़का हूं तो मेरे को जरूरत है कि क्या हो रहा है। मैंने बोला ऐसा क्या, चलो मैं भी चलके देखता हूं। उसी बीच में मैं यहां पे आया। मैं आके यहां पे देखा और मेरे जस्ट अभी थोड़ी देर सामने हमारे जन प्रतिनिधि ने कुछ शब्द बोले। मेरे को उनके शब्द से बहुत दुख लगा। उन्होंने बोले कि हमारे लड़के जो हैं प्लांटों में काम कर रहे हैं हमारे ग्रामवासी। मैं उनसे भी आपसे पूछना चाहता हूं ग्राम गेरवानी के ऐसे कितने लड़के हैं जो हमारे फैक्टी में काम कर रहे हैं । ऐसा नहीं कि मैं काम करूं ऐसा भी नहीं है। मैं काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं देखता हूं कि कितने लड़के हमारे यहां से काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं जन प्रतिनिधियों से जो पैसा खाकर आज जो भी बोल रहे हैं कि कितने लोग जो हैं आज हमारे फैक्टी में हमारे आसपास के फैक्टी में काम कर रहे हैं हमको लिस्ट दें और हमको बतायें और काहे इतने लड़के घूमते हुए नजर आते हैं। भैया हमारे पास काम नहीं है। कोई बोलता है कि भाई मैं क्या करूॅगा। मेरे पास काम नहीं है। ऐसे घूम रहे हैं सब। ये सब समस्याओं का हमारे जन प्रतिनिधि लोग

समझ नहीं रहे हैं कर नहीं रहे हैं तो हम किसके पास जाएं। हमी लोग उनको चुनते हैं जन प्रतिनिधियों को, क्योंकि हमारी इन समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन आज यहां हम आके देखते हैं। जन सुनवाई में मैं जो हो गया कभी गया नहीं हूं न कभी ऐसे माइक में कभी कुछ बोला नहीं हूं। मेरे को भी आज लगा कुछ हिम्मत लगा कि चलो आज कुछ बोलता हूं। आके देखता हूं कि हमारे जन प्रतिनिधि हमारे ही पीछे हमारे ही वाट लगा रहे हैं, क्या करें इसके लिए। हम प्रशासन से जानना चाहते हैं क्योंकि इस तरह की बात है तो ये 200 रूए के चक्कर में हमारे जो महिलाएं लोग हैं जो भी हैं वो आ रहे हैं। अगर ये ग्राम पंचायत तराईमाल में लगाया जाता यहां मंदिर में लगाया गया है। अगर यही जन सुनवाई हमारे ग्राम पंचायत गेरवानी में लगता तो क्या घर के लेडीज लोग आके भी कुछ नहीं बोल सकते थे। यहां पे तो सिर्फ खरीद के ला रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, बाकी तो कोई आ ही नहीं आ रहा। बाकी घर के, आप भी देख रहे होंगे यहां जितने महिलाएं आए हैं और भी जो भीलड़कियां आए हैं वो सिर्फ कुछ लोग आए हैंऔर बाकी लोग तो आए ही नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं वो तो आए ही नहीं हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं उनको तो बस गाड़ियों में बिठा बिठा के बिठा बिठा के ले आ रहे हैं। तो ये कहां की नीति है और कहां की जन सुनवाई है। ऐसी जन सुनवाई तो करवाना ही नहीं चाहिए, पर वो तो, ये जन सुनवाई बिल्कुल, ये तो खरीदके यहां पे लाके रख दे रहे हैं लोगों तुम जाओ वहां पे बोलो और खाना बंट रहा है उधर खाना खाओ उधर से निकल लो। मैं अभी आया देखा वहां पे कुछ लोग आए थे, तो उधर से आ रहे खाना खाने के लिए, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहले उस साइड से घूम को जाओ पहले समर्थन करके आओ फिर खाना खाओं। मैं वहां पे जाके सुन रहा हूं, मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को बताइए। आप ये सब चीज प्रशासन भी जानता है हर चीज को महसूस करते हैं तो ये सब चीज के लिए कुछ होता क्यों नहीं है। ये सब चीज अब मैं कुछ बोला ही नहीं हूं माइक के सामने पहली बार बोल रहा हूं मैं इसलिए और कुछ नहीं बोल पाउंगा मैं। यही सब समस्या है। इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए और ये जन सुनवाई को मैं चाहता हूं कि ये जन सुनवाई को मान्य न दिया जाए क्योंकि हमेशा के लिए ये सही बात है इसे रद्द किया जाए क्योंकि ग्राम पंचायत गेरवानी में इस्पात बन रहा है और ग्राम पंचायत तराईमाल में जन सुनवाई हो रहा है, मंदिर में हो रहा है, खरीद के लोग को लेके आ रहे हैं यहां पे, दो–दो सौ रूपए में और यहां पे समर्थन दिलवा रहे हैं तो ये जन सुनवाई को मैं मानता ही नहीं हूं कि ये जन सुनवाई है खरीद के आदमी को लाके यहां पे समर्थन दिलवा रहे हैं आप लोगों के सामने अगर आप लोग भी इस बात को नहीं ध्यान देंगे तो कोई नहीं देगा। इसी के साथ मैडम मैं अपन बात को रखता हूं। मैं और कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं। धन्यवाद।

547. हृदयराम राठिया, एक्स एमएलए, क्षेत्र का – आप कौन हैं मैडम मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। जानना चाह रहा हूं, आप बताएंगे क्या, आपका परिचय देंगे क्या? आप कौन हैं सर। आप प्रदूषण वाले हैं? आप देख रहे हैं इस प्रदूषण में। मैं कुछ कहने से पहले आप दोनों से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि जन सुनवाई को आज ही बंद करें, रद्द करें। आप करेंगे कि नहीं ये बताइये। आप या तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया नहीं हैं यहां के स्वाभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, यहां के जन जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। मैं पिछले 1 नवम्बर से इस क्षेत्र में घर–घर एक एक घर जा रहा हूं । इस क्षेत्र में आज से पहले 5 फिट में पानी मिलता था, 500 फिट से 1000 फिट तक जाना चाह रहा है। जाना पड़ता है ये सब कारण हैं आप लोग। शासन और प्रशासन। आप मुझे ये बतायें ये जन सुनवाई रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। जो जितना है उसी में कैद रखिए और विस्तार मत करिए। हमारे यहां भारद्वाज परिवार में पैरालेसिस है। जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं। हाइडोसिल तो 99 परसेंट लोगों को है। कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं इसके जवाबदार कौन हैं, सिर्फ आप लोग। यहां पे इस रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा

प्रदूषित क्षेत्र है। आप माफ करने वाले अधिकारी हैं आपको मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश का पूरे देश का जानकारी होगा। क्या चाहता हूं आप लोग हम लोगों को। कीड़े–मकोड़े समझे हो क्या? जो आए उसको दे दिए जन सुनवाई। जो आए उसको अनुमति दे दिये। हमारे यहां पहले इसी रायगढ़ में जाके इलाज करा लेते थे, इतनी बड़ी भयंकर महामारी बीमारी है अब लोगों को दिल्ली की ओर जाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा परिवार है इस क्षेत्र में जो दिल्ली एम्स में बड़े बड़े अस्पताल में जाएगा। आप लोग जो पाते हो वो कर दे रहे हो। अरे मारना है मार डालो एकतरफा, इस क्षेत्र के लोगों को। जब पाए तब जन सुनवाई। हर महीना जन सुनवाई। लागता है इस क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशासक को हमारे इस क्षेत्र को तबाह करके बैठे हो। मैं पूरा घोर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये किसी भी सूरत में ये जन सुनवाई पास नहीं होनी चाहिए। निरस्त करिए। हमारा जल, जंगल, जमीन सब कुछ चला गया। मैं शार्टकट में बोलना चाह रहा हूं मैडम, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। आज इस जन सुनवाई को निरस्त करिए और पिछले महीना जो जन सुनवाई है, उस दिन मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। धन्य प्रशासन, धन्य है शासन कि इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जाता और अभी हमारा बच्चा बोल रहा था, पैसा देकर खरीद कर लाया जाता है इन कम्पनियों द्वारा ये सब साले लुटेरे लोग हैं। बाहर के लोग हैं। मैं घोर अन्यायी हैं, मैं इनका विरोध करता हूं। आप लोग गांव गांव जाइए देखिए, हम लोग मरने के लिए विवश हैं। आपको क्या फर्क पड़ेगा, एसी के नीचे बैठ जाएंगे। यहां पानी की समस्या, यहां कई प्रकार बीमार फैला रहा है, इस क्षेत्र में जो होता नही वो हो रहा है। डेंगू आप लोग सुने होंगे, अरे ये डेंगू के क्षेत्र हैं क्या? ये उद्योग कारखाने इतने मात्रा में नहीं आते तो यहां डेंगू नहीं होता। क्यों सब होता है क्या? ये सब कारण है आप सब लोग। मेरा निवेदन है आप सब से आज ही इस जन सुनवाई को निरस्त करें। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा एक ही निवेदन शासन, प्रशासन खासकर आप लोगों से यदि इस जिला का अन्न खाते हो, इस धरती का पानी पीते हो तो इस जनसुनवाई निरस्त हो, निरस्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।

548. विजेन्द्र कुमार डेविड, – चन्द्रहासिनी प्लांट को समर्थन करता हूं।

549. राधेश्याम शर्मा, जन जागरण मंच, रायगढ़– मेसर्स, चन्द्रहासिनी इस्पात प्रा. लिमिटेड के आज दिनांक को जो जन सुनवाई हो रही है, वो जन सुनवाई के लिए जो अभि निर्धारित प्रक्रिया है, उसके विरूद्ध ये जन सुनवाई हो रही है। मैं माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया से निवेदन करूंगा, ये जो प्रक्रिया है और इसमें जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उन कानूनों का ज्ञान होता होगा, तभी उन्हें इस दायित्व पर बैठाया गया है। क्योंकि अगर प्रक्रिया का परिपालन करवाने के लिए परिपालनकर्ता द्वारा अगर नियमों की जानकारी नहीं है तो सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक है, असैंवधानिक है। मैं माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया से ये निवेदन करूगा कि सर्वप्रथम जो समय का निर्धारण है, पर्यावरण मंत्रालय ने जो निर्धारित समय ये रखा है, उस निर्धारित समय में ये जन सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बावजूद अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिस सुनवाई की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है और विधि की जानकारी के होते हुए भी इस जन सुनवाई की प्रक्रिया भी जारी है, तो इस अवैधानिक कृत्य में पीठासीन अधिकारी महोदय के साथ–साथ जिले के समस्त इस जन सुनवाई से संदर्भित अधिकारी, उस अपराध में संलग्न हैं। मैं पीठासीन अधिकारी महोदया से निवेदन करूंगा, समय सीमा पर जो जन सुनवाई नहीं हो पाई थी, और आज दिनांक 09.01.2018 को ये जन सुनवाई हो रही है, वो समय सीमा से परे हो रही है। दूसरा ये जो उद्योग है, और जिस पंचायत में है, उस पंचायत में भी इस जन सुनवाई को नहीं कराया जा रहा, वहां के लोगों को जन सुनवाई स्थल तक आने के लिए वंचित करना है या परेशान करना है। नियमों में निकटस्थ ग्राम पंचायत, तो ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत् संदर्भित उद्योग नहीं आता। इसलिए

भी ये जन सुनवाई स्थगित होनी चाहिए। हमारे और साथियों ने इस संदर्भ में आपत्तियां दर्ज की होंगी। और रायगढ़ जिले में जन सुनवाई के लिए बहुत सारे लोग, बुद्धिमान लोग जन सुनवाई की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं और अपनी बात रखते हैं, उसके बावजूद जिला प्रशासन जन सुनवाई की प्रक्रिया को प्रारंभ रखती है। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से ये जानना चाहूंगा कि जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आप, या जो पीठासीन अधिकारी हैं, क्या उनके अंतरभूत शक्तियां का उपयोग वो करना चाहती हैं और मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते उनसे निवेदन करूंगा और सादर अपेक्षा रखूंगा कि अपने अंतरभूत शक्ति के तहत इस अवैधानिक जन सुनवाई को यहीं पर निरस्त करें और अगर आप 5 मिनट के अंदर यह निर्णय नहीं लेती हैं तो मैं ये मान लूंगा कि इस जन सुनवाई की प्रक्रिया में आप भी दबाव में काम कर रही हैं, अपने पद का दुरूपयोग कर रही हैं। और ये बहुत ही दुखद विषय है कि न्यायिक और प्रशासनिक पद पर रहने वाला व्यक्ति जनहित के मुद्दे को देखते हुए कानून को दरकिनार कर उद्योगपतियों के साथ षडयंत्रपूर्वक एक गैर वैधानिक जन सुनवाई को समापन करवाने में अपनी सहभागिता दर्ज कर रही हैं। आपके मौन सहमति से मैं समझ रहा हूं आप पैसे से दबाव में हो या न हों, राजनीतिक दबाव या इस उद्योग के मालिकान के दबाव में आप ये निर्णय ले रही हैं और संविधान का सम्मान नहीं है और ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति प्रशासनिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात पर्यावरण मंत्रालय तक पहुँचाना चाहूंगा कि अभी तक देश में जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है, वो पूर्णतः अनुचित है। किसी भी उद्योग स्थापना से पहले राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है, जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि उस क्षेत्र में क्या परिस्थितियां हैं। वहां वायु कितना प्रदूषित है, जल कितना प्रदूषित है और किन–किन उद्योगों का कैसे वहां संचालन हो रहा है और वहां परिस्थितियों क्या हैं। वहां जैवमंडल की स्थिति क्या है? जो चीज तकनीकी चीजों से जाना जा सकता है, जिसके विशेष जानकार उसको बता सकते हैं, उसको हमारे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी क्या बताएंगे आपको और क्या समर्थन और क्या विरोध दर्ज करेंगे? अगर कोई ऐसा विद्वान हो, पर्यावरण विभाग में इस पूरे देश में कि वो हवा को देख कर के बता दे कि इसमें कितना प्रदूषण है, उसकी मात्रा को आंकने का अगर दिमागी अनुभव किसी में हो तो मैं उसको चुनौती देता हूं। मशीन क्यों बनाई गई है? तो पहले जिस क्षेत्र में उद्योग निर्धारित किए जाते हैं, या वहां प्रारंभ किए जा रहे हैं या उसका विस्तार किया जा रहा है, तो उन मापदंडों को जिला प्रशासन को पहले पूरा कर लेना चाहिए कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या अब अन्य उद्योगों को विस्तार या स्थापना के लिए अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? और नियमों के विरूद्ध प्राकृतिक जो हमारी दशा है, वो अगर बिगड़ चुकी है, उसके पश्चात जिला प्रशासन और राज्य शासन ये निर्णय लेती है कि जन सुनवाई होना चाहिए तो ये देश के लोगों के साथ दादागिरी है। प्रशासनिक न्यायिक बल का दुरूपयोग है और मैं ये मानता हूं कि जन सुनवाई के लिए क्या सिर्फ जनता ही आकर के यहां अपना मत अभिमत दर्ज करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा, आदरणीय शर्मा साहब इसको नोट करें कि, जन सुनवाई के लिए शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पूरे जिले के निशिचित रूप में अपने मत उसमें देवें। क्योंकि वो भी इस क्षेत्र के नागरिक हैं और जो कुप्रभाव है शरीर पर, जीवन पर, जैवमंडल पर, वो उनके उपर भी पड़ेगा, तो उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है कि वो भी अपने अभिमत देवें। आज इस जन सुनवाई में माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, अगर आज की जन सुनवाई को निरस्त नही कर पा रही हैं, तो अब तक की प्रक्रियाओं में पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मत नहीं दिया जाता, ये मेरी जानकारी में है। चूँकि बहुत सारे मैंने दस्तावेज देखे हैं, जन सुनवाई के पश्चात्, तो एक दंडाधिकारी पद का व्यक्ति सिर्फ डाकिये का काम करे, ये सर्वथा अनुचित है। हमारे

जिले में जो पर्यावरण अधिकारी हैं, उनका भी अभिमत होना चाहिए, क्योंकि उनका अपना तजुर्बा है। उनका अपना ज्ञान है। उनकी अपनी शिक्षा है इस क्षेत्र की और वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं शर्मा साहब से एक जानकारी चाहूंगा उसके बाद अपनी अगली आपत्ति दर्ज करूंगा कि, आज की तारीख में कितने लोगों ने अपना विरोध और समर्थन यहां दिया? मैं इसलिए जानना चाहता था सर कि कितने वर्षों से मैं देख रहा हूं कि यहां व्यक्ति आता है और माइक में बोलता है कि इसको मेरे को समर्थन है, इसको मेरे को है बोल देता है। वो है में समर्थन है कि विरोध है ये भी पता नहीं लग पाता है, तो विरोध का भी निश्चित कारण होना चाहिए और समर्थन का भी निश्चित कारण होना चाहिए और पर्यावरण मंत्रालय में स्पष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना अभिमत दे रहा है वो किन कारणों से समर्थन दे रहा है और समर्थन देने वाला व्यक्ति सिर्फ ये बोल दे रहा है कि मेरा समर्थन है और वो उसको नोट किया जा रहा है तो उसको संदिग्ध परिस्थितियों में अलग रखकर उसकी वोटिंग होनी चाहिए, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए कि ये व्यक्ति उद्योग प्रबंधन द्वारा लाया हुआ व्यक्ति है, जिसको ये भी पता नहीं कि यहां क्या बोलना है। जन सुनवाई के लिए जो इतना तामझाम और इतने बेरिकेड्स लगते हैं मेरे को लगता है कि कोई आतंकवादी आकर के यहां गोली चलाएगा या बम फेंकेगा और जो इसके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी पड़ती हैं। लोकतंत्र में वोट डालने जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से वोट डालते हैं अपना मत देते हैं, तो आज अभिमत की जब बात आई है तो ऐसी प्रक्रिया क्यों? मैं तो अभी तक अभी तक ऐसा कोई घटना, दुर्घटना मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ में अन्य राज्य में जन सुनवाई मामले में सुना हूं कि कहीं ऐसी कोई बात हुई हो। तो इतना प्रशासनिक अमला का दुरूपयोग पर्यावरण मंत्रालय एक नाटक के रूप में कर रही है अब तक हमारे देश के पर्यावरण मंत्री और सचिव स्तर के लोग सिर्फ जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर अभिमत जानना हो तो कार्यालय में बैठे बैठे अभिमत लिया जा सकता है। पूरे देश का अभिमत लिया जा सकता है। किसी के अभिमत लेने की क्या जरूरत है। जब मशीनी युग है और सब चीज ज्ञात हो जाता है कि कैसा वातावरण है, कितना प्रदूषण है, कितना जल प्रदूषण है, कितना वायु प्रदूषण है, मिट्टी में प्रदूषण है और कितनी कैपेसिटी इस क्षेत्र की है। कितने उद्योग स्थापित हो चुके हैं, इस सब चीज जानने के बाद ये जो तमाशा ये नाटक हो रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। समय की बर्बादी प्रशासनिक अमला पुलिस के बाद और तमाम सामाजिक लोग और हमारे जैसे बीमार लोग, जिनको आदत पड़ गई है आना और विरोध दर्ज करना। क्योंकि विरोधियों का भी अपना एक तरीका है। मैं विरोध तो कर रहा हूँ पर ये समर्थन से कम नहीं है, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूं। तो शायद मैं नाटक कर रहा हूं। मैं भी इस उद्योग के प्रभाव में हूं और सिर्फ नाटक करके यहां से चला जाउंगा। लेकिन इस सार्वजनिक मंच मे मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज की जन सुनवाई की प्रक्रिया के लिए 24 घंटा पीठासीन अधिकारी महोदय को मैं देता हूं। सम्मान देता हूं। अगर ये नहीं हुआ तो मैं पीठासीन अधिकारी महोदय और इस जन सुनवाई को सम्पन्न करवाने वाले समस्त अधिकारी और इस उद्योग के प्रबंधन के विरूद्ध षडयंत्र करने और अवैधानिक जन सुनवाई के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज अवश्य करवाउंगा। क्योंकि मेरे जो अधिकार हैं उस पर मैं कितना कर सकता हूं वो करूंगा और अब तक के अधिकारी अगर भ्रष्ट रहें हैं तो महोदया एक ऐसा संदेश न दें, आज नारी शक्ति का युग है, आप पीठासीन अधिकारी के पद पर हैं, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। आप अपने पद का उपयोग करें और न्याय जो बोलता, कानून जो बोलता है, पर्यावरण का कानून जो बना है, वो जो बोल रहा है, उस कार्य को आप करें और रायगढ़ जिले में जितने कलेक्टर एडीशनल कलेक्टर जन सुनवाई करवाये हैं उन्होंने असंवैधानिक तरीके से जन सुनवाई को सम्पन्न करवाया। मैं पुनः आपसे सादर निवेदन करूंगा एक नागरिक होने के नाते। 24 घंटे का समय है, आप उस कानून को पढ़ लीजिए, समझ

लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं, वो कानून को दायरे में बोल रहा हूं तो आप 24 घंटे के अंदर इस जन सुनवाई को निरस्त कर देवें। अभी भी मैं पर्यावरण विभाग में गया था, और ये जो पुस्तक है, ईआईए रिपोर्ट ये अभी पूर्णतः सुधरा नहीं है। अभी भी जो प्रावधान के अनुरूप जो प्रावधान बना है, संशोधित जो प्रावधान है, उसमें सभी चीज हिंदी भाषा में होना चाहिए। मैंने बहुत से पृष्ठों को देखा वो अंग्रेजी में थे, तो मेरे जैसा आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा और अनुवादक जो है वो सटीक अनुवाद करके मुझे दे दे ये मेरे को ही विश्वास नहीं है तो जिन परिस्थितियों को समझने के लिए ईआईए रिपोर्ट निर्माण हुआ है, और कानून बना है, उसको उस क्षेत्र की जनता समझ नही पा रही है तो उसके मत, अभिमत, विरोध दर्ज करने का भी कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए यह जन सुनवाई पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और पर्यावरण मंत्रालय ने संशोधित अधिनियम में एक कापी उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा में करने का नियम बना रखा है। उसके पश्चात भी उसका परिपालन अभी तक पूर्णतः नहीं हो पाया। हिंदी याने उसके आकड़े भी हिंदी में होना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग आदमी एक को ऐसा लिखता है वह वन को नहीं समझ पाएगा कि वह क्या है। इसलिए उसमें सारी चीज हिंदी में हो। कम्पलीट ईआईए रिपोर्ट उस क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए जो वहां का आदमी समझ सकता हो। तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो संशोधन किया था, इस संदर्भ में उसका परिपालन जिले स्तर पर जन सुनवाईयों में पर्यावरण अधिकारी, पीठासीन अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। अगर किया जाता रहता तो आज हम यहां नहीं खड़े होते। ये ईआईए रिपोर्ट पुनः मंत्रालय को वापस भेज दिया जाता और इसके जो जानकार बहीखाता जो लिखने वाले फ्राड व्यक्ति लोग हैं, जो बैठे बैठे टेबल में वर्क करते हैं और सारी गणना निकाल कर रख देते हैं, ऐसे कम्पनियों के उपर भी विभाग को ही कार्यवाही करना चाहिए। वो जो ऐसे श्वेत ग्रुप है क्या वो संशोधित नियम नहीं पढ़ा है, जो ईआईए रिपोर्ट तैयार कर रहा है? तो मुफ्त में तो नहीं कर रहा है, वो कम्पनी से पैसा भी ले रहा होगा। फिर अगर वो पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो भी उतना दोषी है, जितना इस गैर संवैधानिक लोक सुनवाई को करवाने में पीठासीन अधिकारी महोदय का और हमारे राज्य सरकार की जो भूमिका वो उतनी सबकी बराबर बराबर है। अभी तक पर्यावरण मंत्रालय में पिछली जन सुनवाई में मैं एक आपत्ति दर्ज किया था कि अवयस्क व्यक्ति भी आकर यहां अपना अभिमत दर्ज कर देता है। जिन चीजों का जानकारी नहीं है, अगर निर्वाचन आयोग एक उम्र निर्धारित कर दी है वोटिंग के लिए मतदान के लिए तो यहां भी उम्र निर्धारित होनी चाहिए। अव्यस्कों का अभिमत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। शासन, प्रशासन के द्वारा ये जो समय का दुरूपयोग किया जा रहा है, इसके लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया हो, अगर डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे हैं, तो अब तो सब चीज बैठे बैठे हो जाएगा। सारे मत अभिमत पूरे देश का नहीं विदेशों से भी अभिमत आ जाएगा। सारी जानकारियां आ जाएंगी। बहुत सारे हमारे एनजीओ हैं या ऐसे संगठन हैं समाज से भी जिनके लोग दक्ष हैं और उनके पास सुविधाएं हैं कि वो उस क्षेत्र में जाकर के एक निष्कर्ष ले सकते हैं, मशीनों के माध्यम से एक आंकड़ा निकाल सकते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या हैं तो पहले राज्य सरकार, जिला प्रशासन जन सुनवाई करवाने से पूर्व इन आंकड़ों को एक श्वेतपत्र के रूप में जारी करे और जनता को बताए कि यहां पर स्थितियां क्या हैं और जन सुनवाई के लिए जो व्यवस्था, तामझाम बना हुआ है ओर ये जो नाटक हो रहा है पूरे देश में, आम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इतना झमेला किया जा रहा है, इतना फोर्स, इतना समय, संसाधन इतना समय जो लग रहा है, उसके बचत के लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया एकदम सरल होनी चाहिए कि वो पर्यावरण विभाग में, राज्य पर्यावरण विभाग में, जिला प्यावरवण विभाग के कार्यालय में, या हमारे जिला दंडाधिकारी हैं या संबंधित विभागों में वो आपत्तियां या सहमतियां प्रेषित एक निश्चित समय में किया जाए। जैसे विकसित देश में अभी अभिमत की

विलबग क्यों हुआ, तो निश्चित रूप से हम शासन के आभारी हैं कि उन्होंने जो भी उनका श्रेष्ठ समय था उन्होंने दिया, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। एक व्यक्ति का यह था कि आंकड़े आपने पहली एकत्रित आरंभ कर दिए। किंतु भारत शासन की अधिसूचना है, उसके अंतर्गत् भी ये आंकड़े जो है आवेदन के साथ एकत्रित किए जा सकते हैं और जिस दिन अंतिम जन सुनवाई होगी, उस दिन वो आंकड़े तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ये विधि के अंतर्गत् मान्यता दी गई है। ज्यादातर लोगों ने वायु प्रदूषण सम्बन्धी संभावना के बारे में अपनी बात कही। चूँकि ये स्पांज आयरन प्लांट नहीं है, पॉवर प्लांट नहीं है, इसके अंदर में कोयला का उपयोग नही होगा, इसलिए उस तरह के वायु प्रदूषण नहीं उत्पन्न होंगे। एक एनजीओ ने पेटकोक के उपयोग के बारे में कहा, तो वास्तव में पेटकोट ईंधन के रूप में नहीं होता है। पेटकोट स्टील के अंदर में कार्बन पिकअप के लिए होता है। वो जलता नहीं है, वो लोहे में घुलकर अब्जार्व हो जाता है। इससे उसमें कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। वो कार्बन एडीशन के लिए होता है इसलिए उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है और जो रोजगार के बारे में बहुत सारे लोगों का बिंदु था, तो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत् उद्योग को रोजगार प्रदाय करना होता है और रोजगार दफ्तर में लोग पंजीकृत होते हैं, उनको ही इम्प्रेटनेसशिप के अंतर्गत लेना होता है और उसी हिसाब से रोजगार प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में भी छोटा सा उद्योग संचालित है, उसमें स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी गई है। जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह एक्चुली नवीन है, नवीन इकाई की स्थापना के लिए है, और जो साफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग आवेदन करते हैं उसके अंतर्गत् में एक्सपांसन उसी इकाई का एक्सेप्ट होता है, जिसको आलरेडी एनवायरमेंट क्लियरेंस है। जिस इंडस्ट्री का एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, उसका जब आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो वो एक नई इकाई के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत होता है, साफ्टवेयर में यही एक प्रोवीजन है। हमारे कुछ इस प्रतिवेदन में भूल हुई है, उसके लिए हम क्षमायाचना करते हैं। पूरे रिपोर्ट के अंदर में सब जगह रायगढ़ लिखा हुआ है, हेडर जब डाल रहा था ट्रांसलेटर, तो उससे गलती में एक जगह पर रायगढ़ की जगह रायपुर हो गया है, क्योंकि वो हेडर एक ही जगह पर डाला जाता है, वो सब पेज पर रिफ्लेक्ट होता है। इसी आधार पर रायपुर रिफ्लेक्ट हो गया, हिंदी के हेडर में खाली गलती है। बाकी पूरे रिपोर्ट के अंदर में रायगढ़ का उल्लेख है। वो भूल हमसे हुई है, उस भूल को हम स्वीकार करते हैं और हम पुनः जिला प्रशासन के प्रति और समस्त सभी ग्रामवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और जो भी बिंदु यहां पर आये हैं, उन सब बिन्दुओं का हम समाधान करके अपने रिवाइज ईआईए रिपोर्ट माननीय मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह उद्योग एक आदर्श उद्योग के रूप में इस क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त उद्योग का एक मार्ग, उदाहरण प्रस्तुत करे। धन्यवाद।

सुनवाई के दौरान 4 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 04 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तद्पश्चात सांय 5.15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(आर.के. शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(सोक्तिमा यादव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
- जिला--रायगढ़ (छ.ग.)

संलग्नक क्र. 3 87

(1)

मेसर्स चन्द्रहासिनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (बिलेट्स एण्ड टी.एम.टी. डिविजन) ग्राम- गेरवानी, सराईपाली रोड, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित माईल्ड स्टील बिलेट्स उत्पादन क्षमता 132000 टन/वर्ष एवं रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट (टी.एम.टी. बार) 118000 टन/वर्ष एरिया - 8.45 एकड़ के स्थापना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 09/01/2018 की जन समुदाय उपस्थिति पंजी।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल
रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
1	घुराई तराईमात	
2	मंगली ,,	
3	सुंदरी ,,	
4	सिमा ,,	सीमा
5	बिहानी ,,	
6	ऐरवनी ,,	
7	मोती देवी	मोती देवी
8	Kavita upadhyay	Kavita
9.	नीरा चन्द्रा	नीरा चन्द्रा
10	सुषमा श्रीवास्तव	सुषमा श्री०
11	प्रतिमा साहु	प्रतिमा साहु
12	Sanjukta Ghalai	Sanjukta Ghalai
13	बबिता महतो	बबिता महतो
14	मिनाक्षी महतो	मिनाक्षी महतो
15	Sandhya शर्मा.	
16	चानोदेवी	चानोदेवी
17	सोन मती	
18	हेम मती	

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
(19)	अमृतलाल पिरहा	अमृतलाल
20	दिलीप तराईमाल	दिलीप
(21)	[illegible]	[illegible]
(22)	रविकसेर तराईमाल	[illegible]
(23)	[illegible] तराईमाल	[illegible]
(24)	टिहाऊराम	टिहाऊराम
(25)	बुलाक	बुलाक
(26)	भोला	भोला
(27)	दीलीप सिदार	[illegible]
(28)	घनश्याम	
(29)	रघुराज बेहेरा	[illegible]
(30)	तरुणकुमार उजलपुर	[illegible]
(31)	डालिका कसेर उज्जलपुर	[illegible]
(32)	धनन्जयकुमार[illegible] गेरवानी	[illegible]
(33)	शिवकुमार चौवर उज्वपुर	[illegible]

Page No. 90 (4)
Date

क्र.	नाम एवं पता		हस्ताक्षर
34	भोजराज गुप्ता	उजलपुर	भोजराज गुप्ता
35	सहजाद आलम		सहजाद
36	जागेश्वर पैकरा लारवा		जगेश्वर पैकरा
37	पदुमलाल बिंझवार	"	
38	बुधराम	"	बुधराम
39			

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
रायगढ़ (छ.ग.)